



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
छठी वार्षिक रिपोर्ट
2025-2026

**पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल , S-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,
पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002**



मूल्य:

- सत्यनिष्ठा
- सहयोग/सामंजस्य
- नवाचार
- संगठनात्मक प्रधानता
- उत्कृष्टता
- ज़िम्मेदारी
- पारदर्शिता
- हितधारक दृष्टिकोण

उद्देश्य :-

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का ध्येय, अपने उत्पादक सदस्यों के बीच स्थायी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, आपूर्ति किए गए दूध के प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ-साथ आवश्यक तकनीकी सेवाएं प्रदान करके, दूध उत्पादन को अनुकूलतम करना है।

दीर्घ दृष्टि :-

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, अपने मूल्यों के मार्गदर्शक सिद्धान्त पर चलते हुए उत्तर भारत के डेयरी क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर, अपने उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, और उत्पादक सदस्यों की मुख्य पसंद बनने एवं प्रीमियम डेयरी पोषण प्रदान करते हुये, डेयरी उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करेगी।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

निदेशक मंडल (20 अगस्त 2026 तक)

निदेशक :

श्रीमती अंजना सिंह
श्रीमती संगीता देवी
श्रीमती ममता देवी
श्रीमती मनसा कुमारी
श्रीमती पूनम देवी
श्रीमती रीना देवी
श्रीमती मंजू देवी
श्रीमती गीता वर्मा
श्रीमति आकांक्षा सिंह
श्रीमति कविता कुशवाहा
श्रीमति चुन्नी देवी

विशेषज्ञ निदेशक :

डा. वीनू सोढ़ी
गायत्री सुरेंद्र राव

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक:

डॉ. मुकेश बेरीवाल

कंपनी सचिव

श्रीमती प्रियंका सत्यवली

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एन.आर. एंड एसोशिएट,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स के.पी.एमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग
सर्विसेज एलएलपी

बैंकर्स:

इंडियन बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन
एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी-
221002

ईमेल: info@kasheemilk.com फ़ोन:

[0542-4085526](tel:0542-4085526)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	प्रष्ठ संख्या
1	निदेशक की रिपोर्ट	5-25
2	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	26-39
3	वार्षिक लेखा विवरण • 31 मार्च 2026 का तुलन पत्र • 31 मार्च 2026 के लिए लाभ हानि खाता • रोकड़ प्रवाह विवरण	40- 42
4	लेखांकन टिप्पणियाँ (Notes To Accounts)	43-73
5	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र तथा अनुलग्न	74- 95
6	प्राप्ति पत्र	96
7	उपस्थिती पर्ची	97
8	प्रॉक्सि फॉर्म	98-99
9	वार्षिक आम सभा का नक्शा और निकटवारती प्रमुख स्थल	100

(नोट: हिंदी भाषा में अनुवादित छठी वार्षिक आम सभा और लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की असंगति/असामंजस्यता पाई जाने पर अंग्रेज़ी भाषा में लिखे हुए दस्तावेज़ ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।)

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यों के नाम

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

निदेशक मंडल को काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी की स्थापना 11 नवंबर 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में हुई थी। स्थापना के बाद से ही कंपनी समावेशी और पेशेवर तरीके से संचालित डेयरी मूल्य श्रृंखला के माध्यम से महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के वित्तीय सहयोग और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के तकनीकी मार्गदर्शन से हुई थी। शुरुआत में यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में संचालित की गई थी।

कंपनी के निरंतर अच्छे परिचालन प्रदर्शन और संस्थागत विकास को देखते हुए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) ने वर्ष 2024 से इस परियोजना का विस्तार भदोही और वाराणसी जिलों में करने की मंजूरी दी। वर्तमान में कंपनी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात जिलों—बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और वाराणसी में उत्पादक सदस्यों को सेवाएं प्रदान कर रही है।

कंपनी ने मार्च 2022 में “पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी मूल्य श्रृंखला विकास” परियोजना के अंतर्गत वाणिज्यिक कार्य शुरू किया। कम समय में ही कंपनी एक मजबूत उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्था के रूप में विकसित हुई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और स्थायी डेयरी विकास को बढ़ावा देना है।

वित्तीय परिणाम और कंपनी के कार्यों की स्थिति

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष (₹ लाख में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (₹ लाख में)
परिचालन से आय	28,650.77	19,560.26
अन्य आय	158.71	356.51
कुल आय	28,809.49	19,916.77
कुल व्यय	28,306.98	19,662.09
लाभ/(हानि) कर से पूर्व	502.51	254.68
कर व्यय	135.27	27.63
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	367.24	227.05

वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय ₹28,809.49 लाख रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹19,916.77 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तुलना में राजस्व से संबंधित व्यय में ₹8,644.89 लाख की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में कर के बाद शुद्ध लाभ ₹367.24 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹227.05 लाख था। इस प्रकार, शुद्ध लाभ में 61.74% की वृद्धि हुई।

सीमित प्रतिफल (डिविडेंड)

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹100/- अंकित मूल्य वाले 6,96,685 इक्विटी शेयरों पर ₹8/- प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश को प्रस्तावित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान 6वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। सदस्यों द्वारा लाभांश स्वीकृत किए जाने के बाद, इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। स्वीकृति की स्थिति में, लाभांश भुगतान के रूप में ₹55,73,480/- (रुपये पचपन लाख तिहतर हजार चार सौ अस्सी मात्र) की नकद निकासी की जाएगी।

सामान्य भंडार (जनरल रिजर्व) में अंतरण

सामान्य भंडार वह राशि होती है जिसे कंपनी अपनी सामान्य गतिविधियों से प्राप्त लाभ में से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखती है। कंपनी के संविधान (Article of Association) के अनुच्छेद संख्या 11.10 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के कर पश्चात लाभ में से ₹367.24 लाख की राशि को बैलेंस शीट में सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया है।

कंपनी का परिचालन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने अपने दुग्ध संग्रहण नेटवर्क का विस्तार करने और संचालन की कार्यक्षमता को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रगति की।

31 मार्च 2026 तक, कंपनी ने अपने सात परिचालन जिलों के विभिन्न गांवों में 1,013 मिल्क पूलिंग पॉइंट (MPP) स्थापित किए थे। इससे एक प्रभावी और पारदर्शी दुग्ध संग्रहण प्रणाली विकसित हुई, जिसके माध्यम से हजारों ग्रामीण दुग्ध उत्पादक संगठित बाजारों से जुड़े।

वर्ष के दौरान कंपनी ने कुल 4,99,48,866 लीटर कच्चे दुग्ध का संग्रहण किया, जिसमें प्रतिदिन औसतन 1,36,846 लीटर दुग्ध का संग्रहण हुआ। यह उपलब्धि उत्पादक सदस्यों के कंपनी पर निरंतर विश्वास और एक विश्वसनीय, पारदर्शी तथा उत्पादक-केंद्रित डेयरी व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सदस्य संख्या में भी निरंतर वृद्धि देखी गयी वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के सदस्य रजिस्टर में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सदस्यों की संख्या 33,178 हो गई। सदस्यों की बढ़ती संख्या कंपनी की सुशासन व्यवस्था, सदस्य-

केंद्रित सेवाओं तथा एक स्थायी उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्था के निर्माण के दीर्घकालिक उद्देश्य में सदस्यों के विश्वास को दर्शाती है।

कंपनी अपने सदस्यों को उचित और प्रतिस्पर्धी दुग्ध खरीद मूल्य उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रही तथा संचालन की कार्यक्षमता में निरंतर सुधार किया। लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, डिजिटल निगरानी और प्रभावी क्षेत्रीय निगरानी से संबंधित पहलों के माध्यम से कंपनी ने सेवा की उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पादकता में सुधार किया।

बोर्ड का दृढ़ विश्वास है कि ये उपलब्धियां कंपनी की भविष्य की निरंतर वृद्धि के लिए मजबूत आधार प्रदान करती हैं और समावेशी तथा पेशेवर तरीके से संचालित डेयरी मूल्य श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के कंपनी के उद्देश्य को और मजबूत करती हैं।

उत्पादक संस्था शशक्तिकरण (Producer Institution Building - PIB)

उत्पादक संस्था सशक्तिकरण (PIB) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादकों के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाली संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण किया जाता है। केवल दुग्ध संग्रहण तक सीमित न रहते हुए, कंपनी एक मजबूत, लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सदस्य संस्था के संचालन, निर्णय लेने और दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

उत्पादक संस्था सशक्तिकरण (PIB) के अंतर्गत संस्थागत सुशासन को मजबूत करने, सदस्यों में जागरूकता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और संगठन के प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। व्यवस्थित सहभागिता के माध्यम से कंपनी उत्पादक सदस्यों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने, संस्थागत प्रक्रियाओं में भाग लेने तथा अपनी उत्पादक कंपनी के सतत विकास में योगदान देने के लिए सक्षम बनाती है।

कंपनी की पारदर्शी सुशासन व्यवस्था, समान एवं उचित व्यावसायिक प्रक्रियाएं तथा सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण इसे पारंपरिक डेयरी संस्थानों से अलग बनाते हैं। स्वामित्व, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय लेने को बढ़ावा देकर, उत्पादक संस्था सशक्तिकरण (PIB) एक ऐसी मजबूत संस्था की नींव तैयार करता है, जो अपने सदस्यों को दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो।

प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

कंपनी द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम सदस्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादक सदस्य कंपनी में अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समझते हैं। वर्ष के दौरान डेयरी प्रबंधन की बेहतर कार्यप्रणाली, दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार, संस्थागत जानकारी बढ़ाने तथा सदस्यों और क्षेत्रीय कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों से उत्पादक सदस्यों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने, वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग पद्धतियों को अपनाने, बेहतर सेवाओं का लाभ लेने तथा अपनी उत्पादक कंपनी के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सहायता

मिली। साथ ही, सहायकों और क्षेत्रीय कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कंपनी के परिचालन क्षेत्रों में बेहतर संचालन, गुणवत्ता मानकों का पालन और प्रभावी सेवा सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का सारांश नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण / विस्तार कार्यक्रम	आयोजित कुल सत्र	मुख्य उद्देश्य
1.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	1	संभावित उत्पादक सदस्यों में नेतृत्व और संस्था के संचालन से जुड़ी क्षमताओं को मजबूत करना।
2.	डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण	24	सदस्यों के बीच वैज्ञानिक तरीके से डेयरी प्रबंधन और उत्पादकता में सुधार करना।
3.	पशु स्वास्थ्य शिविर	172	पशुओं की नियमित स्वास्थ्य देखभाल, रोग नियंत्रण और पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देना।
4.	ग्राम संपर्क समूह (VCG) बैठकें	5,218	सदस्यों की भागीदारी, कार्य की समीक्षा, संस्था से संबंधित जानकारी साझा करना और जागरूकता बढ़ाना।
5.	सहायक अभिमुखीकरण कार्यक्रम	1,014	दुग्ध संग्रहण कार्य, डिजिटल एप्लीकेशन, गुणवत्ता जांच और उपकरणों के उपयोग के संबंध में क्षमता बढ़ाना।
6.	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	645	स्वच्छ एवं सुरक्षित दुग्ध उत्पादन, पशुओं के थनों के स्वास्थ्य, दुग्ध की सुरक्षित हैंडलिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को बढ़ावा देना।
7.	ग्राम संपर्क समूह अभिमुखीकरण कार्यक्रम	253	ग्राम स्तर पर संस्था के संचालन, संस्थागत सिद्धांतों और सदस्यों की भागीदारी को मजबूत करना।
8.	ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	7	युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और डेयरी व्यवसाय में आधुनिक उद्यमिता के तरीकों से परिचित कराना।
9.	स्कूली बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	7	पोषण, पशु कल्याण, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और सहकारिता के मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

क्षमता निर्माण और गुणवत्ता सुधार

इन व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने, दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार करने, संस्था के संचालन एवं प्रशासन को मजबूत करने तथा उत्पादक कंपनी की दीर्घकालीन स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

गुणवत्ता में उत्कृष्टता

दुग्ध की खरीद और डिस्पैच की प्रक्रिया में गुणवत्ता हमारी प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे दुग्ध संग्रहण नेटवर्क के माध्यम से केवल सुरक्षित, ताजा और उच्च

गुणवत्ता वाला कच्चा दुग्ध ही स्वीकार किया जाए। वर्ष के दौरान, हमने परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाकर, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर, कोल्ड चेन व्यवस्था को मजबूत करके तथा बल्क मिल्क कूलर (BMC) और मिल्क कलेक्शन सेंटर (MCC) में दुग्ध भंडारण क्षमता बढ़ाकर अपनी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था को और मजबूत किया है।

गुणवत्ता से संबंधित प्रमुख उपलब्धियाँ

- **कड़ी गुणवत्ता जांच:** सभी BMC और MCC में दुग्ध स्वीकार करने से पहले उसकी व्यापक गुणवत्ता जांच की जाती है। कच्चे दुग्ध में फैट, SNF, MBRT, अम्लता (Acidity), घनत्व (Density), मिलाए गए पानी तथा अन्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों की जांच की जाती है, ताकि निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- **कोल्ड चेन व्यवस्था को मजबूत करना:** हमारे एक BMC में नया ग्लाइकोल आधारित दुग्ध चिलिंग सिस्टम शुरू किया गया, जिससे दुग्ध को ठंडा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और कच्चे दुग्ध की ताजगी बनाए रखने में मदद मिली। बेहतर चिलिंग व्यवस्था और MBSCAN के माध्यम से नियमित निगरानी के कारण, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में औसत मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टाइम (MBRT) में 14% सुधार हुआ, जो कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
- **उन्नत परीक्षण सुविधाएँ:** दुग्ध खरीद नेटवर्क में आधुनिक परीक्षण तकनीकों को लागू किया गया। मिल्कोस्क्रीन सिस्टम के माध्यम से फैट, SNF और दुग्ध में मिलावट की तेजी से जांच तथा डिजिटल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, सभी दुग्ध डिस्पैच हब पर सोडियम एनालाइजर लगाए गए, जिससे गुणवत्ता की निगरानी मजबूत हुई और दुग्ध में सोडियम की मात्रा का सही आकलन सुनिश्चित हुआ।
- **डिजिटल गुणवत्ता निगरानी:** दुग्ध की गुणवत्ता से संबंधित मानकों की डिजिटल रिकॉर्डिंग और निगरानी से दुग्ध की गुणवत्ता का रिकॉर्ड रखने, गुणवत्ता में होने वाले बदलावों का विश्लेषण करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में सुविधा हुई। इससे दुग्ध खरीद नेटवर्क में लगातार गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा मिला।
- **क्षमता में वृद्धि:** बढ़ती हुई दुग्ध खरीद को पूरा करने और गाय के दुग्ध को अलग रखने के लिए चयनित MCC में नए दुग्ध भंडारण साइलो लगाए गए। इससे दुग्ध भंडारण क्षमता बढ़ी, कार्य संचालन में सुधार हुआ तथा दुग्ध डिस्पैच से पहले तापमान को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना संभव हुआ।
- **खाद्य सुरक्षा और अनुपालन:** दूध के संग्रह, ठंडा करने, भंडारण और भेजने के दौरान स्वच्छता का लगातार ध्यान रखा गया। जाँच उपकरणों की नियमित जाँच और सही करना, तकनीकी कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना तथा FSSAI के नियमों और आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया। इससे गुणवत्ता जाँच अधिक भरोसेमंद बनी और पूरी आपूर्ति प्रक्रिया में खाद्य सुरक्षा और मजबूत हुई।

उत्पादकता बढ़ाने वाली सेवाएँ

कंपनी डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करती है। इनमें MAITs की पहचान और प्रशिक्षण, घर-घर कृत्रिम गर्भाधान सेवा, गर्भावस्था की जाँच, संतुलित पशु आहार और क्षेत्र के अनुसार तैयार किए गए चिलेटेड मिनरल मिश्रण की आपूर्ति, थनैला रोग की जाँच, बांझपन एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन शिविरों का आयोजन तथा डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी ये सभी गतिविधियाँ जारी रहें।

पशु आहार

खनिज पदार्थ विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें हड्डियों की मजबूती, प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना तथा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना शामिल है। कंपनी द्वारा अपने उत्पादक सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार वैज्ञानिक रूप से विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सदस्यों के पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करना है, जिससे दुग्ध उत्पादन और सदस्यों की आय में वृद्धि हो तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिले।

कंपनी “SAG” ब्रांड के अंतर्गत “संतुलित मिश्रित पशु आहार (बीआईएस प्रकार-II)” उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 5,511.05 मीट्रिक टन पशु आहार उपलब्ध कराया।

मिनरल मिश्रण

पशुओं के स्वास्थ्य के लिए खनिज तत्व महत्वपूर्ण हैं। ये हड्डियों की मजबूती, रोग-प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन स्वास्थ्य सहित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला मिनरल मिश्रण क्षेत्र में सामान्य रूप से पाई जाने वाली खनिजों की कमी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे पशुओं को अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर उत्पादकता के लिए आवश्यक खनिज प्राप्त होते हैं।

कंपनी अपने उत्पादक सदस्यों को “SAG मिनरल” ब्रांड के अंतर्गत वैज्ञानिक रूप से तैयार पूर्वांचल क्षेत्र के लिए विशेष चिलेटेड मिनरल मिश्रण उचित एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 28,374 किलोग्राम मिनरल मिश्रण उपलब्ध कराया।

चारा विकास (Fodder Development)

कंपनी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों को चारा विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करती है। इसके अंतर्गत सदस्यों को बेहतर गुणवत्ता वाले चारे के बीजों और स्थायी खेती की बेहतर पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दुग्ध उत्पादक सदस्यों को कुल 28,164 किलोग्राम उन्नत किस्म के चारा बीज वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, दुग्ध उत्पादक सदस्यों को गर्मी के मौसम में उपयोग होने वाली चारा बीज की नई किस्में, जैसे जंबो गोल्ड, जंबो सुपर, मेगा स्वीट और न्यूट्री फीड भी उपलब्ध कराए गए।

घर-घर कृत्रिम गर्भाधान सेवा

कृत्रिम गर्भाधान एक आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें चयनित गुणवत्ता वाले वीर्य का उपयोग कर मादा पशुओं में प्रजनन कराया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान सेवा के माध्यम से सदस्यों के पशुओं की बेहतर नस्ल और प्रजनन क्षमता में सुधार किया जा सकता है, जिससे डेयरी पशुओं में दुग्ध उत्पादन और अन्य पशुओं की वृद्धि दर में सुधार होता है।

कंपनी के प्रशिक्षित मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITs) कृत्रिम गर्भाधान की पूरी प्रक्रिया में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करते हैं तथा पशुओं के उचित स्वास्थ्य और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में सहयोग करते हैं।

कृत्रिम गर्भाधान सेवा स्थायी पशुपालन विकास के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बेहतर प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा देकर यह पहल पशुपालकों और कृषि समुदाय के समग्र विकास एवं दीर्घकालिक प्रगति में योगदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी ने पशुओं के प्रजनन और स्वास्थ्य में सुधार के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए:

- **कृत्रिम गर्भाधान:** उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले वीर्य डोज का उपयोग करते हुए कुल 23,578 कृत्रिम गर्भाधान किए गए। इससे सदस्यों को बेहतर आनुवंशिक गुणों वाले पशुओं के प्रजनन में सहायता मिली और पशुओं की उत्पादकता में सुधार हुआ।
- **प्रशिक्षण:** कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने 70 मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITs) को प्रशिक्षण दिया। इन तकनीशियनों ने प्रजनन प्रक्रिया के दौरान सदस्यों को आवश्यक विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन प्रबंधन शिविर:** कंपनी ने कुल 172 पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन प्रबंधन शिविरों का आयोजन किया, जिनमें कुल 1,740 पशुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। इन शिविरों का उद्देश्य पशुओं के समग्र स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य में सुधार करना था।

पशुओं के स्वास्थ्य के लिए निवारक पहल

- **मास्टाइटिस की रोकथाम:** मास्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी तथा दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक नुकसान होता है। इसकी समय पर पहचान के लिए कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट (CMT) का उपयोग किया गया। यह एक सरल और कम लागत वाला परीक्षण है, जो सब-क्लिनिकल मास्टाइटिस की पहचान में उपयोगी है। इस स्थिति में बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 1,800 CMT परीक्षण किए गए तथा दुग्ध क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के बीच इसके संबंध में जागरूकता भी बढ़ाई गई।
- **ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर:** पशु स्वास्थ्य शिविरों के दौरान CMT परीक्षण से पहचाने गए सब-क्लिनिकल मास्टाइटिस की रोकथाम के लिए दुग्ध उत्पादक सदस्यों को ट्राइसोडियम साइट्रेट (TSC) पाउडर उपलब्ध कराया गया। कुल 32 किलोग्राम ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर सदस्यों को वितरित किया गया।

- **कीटनियंत्रण (Deworming):** पशुओं में परजीवी संक्रमण को रोकने तथा उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कृमिनाशक दवा देना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुल 4,934 Vetfen B और 596 Vetfen T स्ट्रिप्स की कृमिनाशक दवा वितरित की गई।

क्षमता निर्माण

- **डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण:** सफल डेयरी व्यवसाय के लिए डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सा डॉक्टरों/PES अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में दुग्ध उत्पादकों को डेयरी की कार्यक्षमता बढ़ाने, डेयरी फार्म का बेहतर प्रबंधन करने तथा डेयरी व्यवसाय से लाभ बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताया जाता है। सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, बछड़ों को उचित आहार देना, खुले आवास की व्यवस्था, पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना, पशुओं के स्वास्थ्य की रोकथाम संबंधी देखभाल तथा उचित पशु शेड आदि अच्छी डेयरी प्रबंधन पद्धतियों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 480 दुग्ध उत्पादकों को अच्छी डेयरी प्रबंधन पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया गया।

- **साइलेज प्रदर्शन:** पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता कम होने के कारण गर्मी के मौसम में दुग्ध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती है। साइलेज हरे चारे से बनाया गया एक प्रकार का सुरक्षित चारा है, जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता है और पूरे साल पशुओं को खिलाया जा सकता है। सदस्यों को साइलेज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 33 साइलेज तैयारी एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पशु स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम

- **मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएँ:** कम लागत में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2025 में MCC चुनार और MCC बलिया में 2 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएँ शुरू की गईं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की सहायता से कुल 1,200 पशुओं का उपचार किया गया तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 172 किसान बैठकें आयोजित की गईं।
- **ईवीएम उत्पाद:** दूध में दवाओं के अवशेष को रोकने और उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित दूध उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से एंटरोहर्ब, फेबोनोंर्म, हर्बोलैक्ट, हर्बोटिक, नेचुरोगर्भ और कीडो+ जैसे औषधीय उत्पाद उपलब्ध कराना शुरू किया है।
- **पशु आहार अनुपूरक:** पशुओं के समग्र स्वास्थ्य में सुधार, बांझपन की समस्या को कम करने तथा दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ दवाओं और पशु आहार अनुपूरकों की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से कंपनी ने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध भुगतान चक्र के माध्यम से लागत प्रभावी आधार पर ऐसी दवाएँ और अनुपूरक उपलब्ध कराना शुरू किया।

एमपीसी के मूल संरचनात्मक सिद्धांत

- केवल सदस्यों के साथ व्यवसाय
- सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता एवं व्यवसाय एवं संचालन में भागीदारी
- सदस्य पूंजी का योगदान संरक्षकता (patronage) के अनुपात में
- सदस्य संवाद और शिकायत निवारण हेतु उपयुक्त प्रणाली
- व्यवसायिक संचालन का व्यावसायिक प्रबंधन एवं शीघ्र आत्मनिर्भरता हेतु आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था
- सदस्यों को अधिकतम लाभ दिलाने हेतु प्रभावी मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने हेतु सूचना एवं डाटा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 31 मार्च 2026 के बाद इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई है। साथ ही, नियामकों या न्यायालयों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कंपनी के निरंतर संचालन की स्थिति या भविष्य के कार्यों पर कोई प्रभाव पड़े।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शेयर पूंजी और सदस्यता

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹10 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹5,14,59,700 थी तथा 31 मार्च 2026 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹6,96,68,500 थी। वर्ष के दौरान सदस्यों द्वारा शेयरों के रद्दीकरण/समर्पण के कारण कंपनी ने 54,884 इक्विटी शेयर रद्द किए हैं।

31 मार्च 2026 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में 33,178 सदस्य दर्ज थे। 31 मार्च 2026 के बाद कंपनी में 3,505 नए सदस्य जुड़े हैं और 6,692 मौजूदा सदस्यों को शेयर आवंटित किए गए हैं। इन सदस्यों को कुल 43,512 शेयर आवंटित किए गए हैं, जिससे कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में ₹43,51,200 की बढ़ोतरी हुई है।

अतः इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या 36200 है तथा कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹7,40,19,700 है।

मतदान अधिकार एवं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है, बशर्ते कि उस सदस्य ने एक वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक दुग्ध की आपूर्ति की हो और कुल कम से कम 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

आगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान अधिकार के संबंध में, 31 मार्च 2026 को कंपनी के कुल 33,178 सदस्यों में से केवल 9539 सदस्य मतदान के लिए पात्र हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 दिनों

तक और कुल 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति नहीं करने वाले 16516 सदस्यों के मतदान अधिकार समाप्त हो गए हैं और वे आगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं हैं।

31 मार्च 2026 के बाद कंपनी के सदस्य बनाए गए कुल 3505 नए सदस्य कंपनी की 6वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में मतदान करने के पात्र नहीं हैं।

इस रिपोर्ट की तारीख तक 36200 सदस्य कंपनी की 6वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने के पात्र होंगे।

अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 के लागू प्रावधानों के अनुसार, अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का विवरण, जिसमें संबंधित शेयरधारकों के नाम एवं अन्य विवरण शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

इस रिपोर्ट की तिथि तक अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश की राशि (₹)	शेयरधारकों की संख्या
2023-24	17,160	541
2024-25	14,192	391
कुल	31,352	—

उपरोक्त राशियां वर्तमान में अवैतनिक लाभांश खाते में जमा हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अंतर्गत निर्धारित सात वर्ष की वैधानिक अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। अतः उपरोक्त राशियों के संबंध में वर्तमान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण हेतु कोई राशि देय नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट की तिथि तक किसी भी शेयर को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे अंतरण के लिए लागू वैधानिक परिस्थितियां अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं।

अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का वर्षवार विवरण तथा लाभांश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://www.kasheemilk.com/unclaimed-dividend> पर उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना लाभांश प्राप्त नहीं किया है, वे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण की जांच करें तथा अपने दावे के सत्यापन और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के अधीन, उन्हें देय लाभांश की राशि जारी/भुगतान करने के लिए कंपनी से संपर्क करें।

निदेशक मंडल

31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल की संरचना

क्रम संख्या	नाम	निदेशक पहचान संख्या
1.	संगीता देवी	09687721
2.	अंजना सिंह	10190931
3.	मंशा कुमारी	10180237
4.	ममता देवी	10180142
5.	पूनम देवी	10743330
6.	रीना देवी	10743346
7.	मंजू देवी	10743357
8.	गीता वर्मा	10743665
9.	आकांक्षा सिंह	11211650
10.	कविता कुशवाहा	11211671
11.	चुन्नी देवी	11211662
12.	मुकेश बेरिवाल	10697848
13.	वीनू सोढ़ी	10761410
14.	गायत्री सुरेंद्र राव	08376335

क) निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2025-26 में निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्तियां:

- डॉ. वीनू सोढ़ी एवं गायत्री सुरेंद्र राव को 26 मई 2025 को विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्रीमती आकांक्षा सिंह, श्रीमती कविता कुशवाहा एवं श्रीमती चुन्नी देवी को 10 सितंबर 2025 को आयोजित 5वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

त्यागपत्र एवं सेवानिवृत्ति:

- डॉ. संजय कुमार मगनलाल गोवानी द्वारा ने 28 अप्रैल 2025 द्वारा विशेषज्ञ निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया गया ।
- श्री आलोक कुमार गुप्ता द्वारा 27 मई 2025 को विशेषज्ञ निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया दिया गया ।
- श्रीमती सरिता देवी, श्रीमती प्रतिमा देवी एवं श्रीमती श्यामलता सिंह ने 10 सितंबर 2025 को आयोजित 5वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक के पद से सेवानिवृत्ति ली।

- निदेशक मंडल उपर्युक्त सेवानिवृत्त निदेशकों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करता है।

निदेशक मंडल की संरचना एवं निदेशकों की पुनर्नियुक्ति

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों को उनके सदस्यता योगदान के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बाँटने तथा संबंधित वर्ग के सदस्यों के योगदान के आधार पर निदेशक मंडल में उनका प्रतिनिधित्व तय करने का प्रावधान है।

सदस्यों के योगदान के आधार पर उन्हें वर्ग-A, वर्ग-B और वर्ग-C में बाँटने के संशोधित मानदंड कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सदस्यों द्वारा निर्धारित सदस्यता-आधारित योगदान संबंधी मानदंडों की पूर्ति के आधार पर किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि वर्ग-A, वर्ग-B और वर्ग-C के सदस्यों का योगदान क्रमशः 39%, 24% एवं 38% रहा।

तदनुसार, प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के योगदान के आधार पर निदेशक मंडल में उनके प्रतिनिधित्व की संरचना क्रमशः वर्ग-A के लिए 4 निदेशक, वर्ग-B के लिए 3 निदेशक तथा वर्ग-C के लिए 4 निदेशक निर्धारित होती है।

“वर्ग-A” निदेशक

वर्तमान में निदेशक मंडल में वर्ग-A का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, कंपनी की “कोई वर्ग नहीं” श्रेणी की निदेशक श्रीमती अंजना सिंह आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। अतः उनके सेवानिवृत्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को “वर्ग-A” निदेशक की नियुक्ति द्वारा भरने का प्रस्ताव किया गया था।

हालांकि, नामांकन समिति के सुझाव के आधार पर तथा “वर्ग-A” की रिक्ति को भरने के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण, निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि “वर्ग-A” की उक्त रिक्ति को रिक्त ही रखा जाएगा।

“वर्ग-B” निदेशक

वर्तमान में निदेशक मंडल में “वर्ग-B” प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, कंपनी की “वर्ग-B” का प्रतिनिधित्व करने वाली निदेशक श्रीमती ममता देवी आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होंगी। नामांकन समिति के प्रस्ताव के आधार पर, निदेशक मंडल ने भी श्रीमती ममता देवी के स्थान पर “वर्ग-B” का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती सुनीता देवी की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है।

उपरोक्त नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशक के नाम एवं योग्यताओं से संबंधित विवरण कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु जारी सूचना के साथ संलग्न किया गया है।

“वर्ग-C” निदेशक

वर्तमान में निदेशक मंडल में “वर्ग-C” का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, कंपनी की “वर्ग-C” का प्रतिनिधित्व करने वाली निदेशक श्रीमती मंशा कुमारी आगामी

वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होंगी। पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दी है। नामांकन समिति के प्रस्ताव के आधार पर, निदेशक मंडल ने भी उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है।

उपरोक्त नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशक के नाम एवं योग्यताओं से संबंधित विवरण कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु जारी सूचना के साथ संलग्न किया गया है।

निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के अनुसार, निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि:

(क) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों तथा कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में दी गई आवश्यकताओं का पालन किया गया है और उनमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है।

(ख) निदेशकों ने उचित लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो उचित एवं विवेकपूर्ण थे, ताकि 31 मार्च 2026 को कंपनी की स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को कंपनी के निरंतर संचालित रहने के आधार पर तैयार किया है।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां स्थापित की हैं तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

लेखापरीक्षक

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स एन. आर. एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, पंजीकरण संख्या 312101ई, की नियुक्ति कंपनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक के समापन तक की गई थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं पाया गया।

मेसर्स एन. आर. एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, पंजीकरण संख्या 312101E, वर्ष 2021 से कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निर्धारित उनकी पहली अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः निदेशक मंडल ने मेसर्स एन. आर. एंड एसोसिएट्स के स्थान पर मेसर्स मेसर्स रे एंड रे (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स), सनदी लेखाकार, पंजीकरण संख्या 301072E, को कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो आगामी छठी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है।

कंपनी को प्रस्तावित लेखापरीक्षकों से आवश्यक सहमति एवं घोषणा प्राप्त हो गई है, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए पात्रता की पुष्टि की है तथा यह भी पुष्टि की है कि उनकी प्रस्तावित नियुक्ति अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित सीमाओं के भीतर होगी।

कंपनी को लेखापरीक्षकों से यह घोषणा भी प्राप्त हुई है कि नियुक्त किए जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति अवधि कंपनी अधिनियम में निर्धारित सीमाओं के भीतर होगी तथा वे ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

लागत रिकॉर्ड

कंपनी द्वारा की गई व्यापार गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड रखरखाव और लागत ऑडिट की आवश्यकता जो कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई है, लागू नहीं है।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में उचित प्रणाली एवं प्रक्रिया स्थापित की गई है तथा ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षा (Secretarial Audit)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, कंपनी पर सचिवीय लेखापरीक्षा लागू नहीं है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर निदेशक मंडल की टिप्पणी

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियाँ तथा वित्तीय विवरण स्वयं स्पष्ट हैं और उन पर किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, आरक्षण, योग्यता संबंधी टिप्पणी अथवा अस्वीकरण नहीं है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऑडिट

कंपनी में उचित एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ सुरक्षित एवं संरक्षित रहें तथा सभी लेन-देन विधिवत अधिकृत, सही रूप से अभिलिखित और सही रूप से प्रस्तुत किए जाएँ। लेखों की आंतरिक जाँच बाहरी सनदी लेखाकार संस्था, मेसर्स केपीएमजी एशयोरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी, द्वारा नियमित रूप से की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षक कंपनी की आंतरिक व्यवस्था और नियंत्रणों की पर्याप्तता की स्वतंत्र रूप से जाँच करते हैं।

मानव संसाधन

आज के बदलते और प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक माहौल में किसी भी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। कर्मचारियों का विकास ही संगठन की प्रगति का आधार है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के कल्याण, उनकी क्षमता बढ़ाने, कार्य प्रदर्शन में सुधार और आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ बेहतर और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग ने कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने, कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाने, मानव संसाधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर करने तथा कंपनी के व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कीं।

कर्मचारी कल्याण, सहभागिता एवं मानव संसाधन विकास

- कर्मचारी कल्याण एवं स्वास्थ्य: वर्ष के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तथा अन्य कल्याणकारी लाभों को सुदृढ़ किया गया।
- सकारात्मक कार्य संस्कृति: कर्मचारियों की सहभागिता, समावेशी कार्य संस्कृति तथा संगठन के साथ उनके जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की गईं।
- नीतियों एवं प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण: बदलती वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अद्यतन किया गया तथा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में सुधार के माध्यम से कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया गया।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास: कर्मचारियों के कौशल, कार्यक्षमता एवं नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- मान्यता एवं प्रोत्साहन: कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता एवं पुरस्कार संबंधी पहल की गईं, जिससे कर्मचारियों के मनोबल, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता एवं संगठन से जुड़ाव को और मजबूत करने में सहायता मिली।

मानव संसाधन विभाग कंपनी की दृष्टि और विकास के उद्देश्यों के अनुरूप कर्मचारियों से संबंधित कार्यप्रणालियों को मजबूत करने तथा सक्षम और सकारात्मक कार्य वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। आगे भी कर्मचारियों के विकास, संगठन की कार्यक्षमता में सुधार तथा निरंतर विकास के लिए मजबूत मानव संसाधन आधार तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology):

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने नई अनुप्रयोग प्रणालियों के विकास, उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के कार्यान्वयन तथा कंपनी के प्रौद्योगिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के माध्यम से अपने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में निरंतर प्रगति की। इन पहलों से परिचालन दक्षता में सुधार, सूचना सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा कंपनी के विभिन्न कार्यों में बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायता मिली।

कर्मचारी डिजिटल शिकायत निवारण पोर्टल

कर्मचारियों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित कार्यस्थल की शिकायतों एवं समस्याओं के सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध निवारण के लिए एक डिजिटल शिकायत निवारण पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी अपनी आईटी संबंधी शिकायतें सीधे दर्ज कर सकते हैं तथा उनकी शिकायत के निवारण की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- कर्मचारी एक केंद्रीकृत डिजिटल माध्यम से आईटी एवं डिजिटल सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायतों की स्थिति की जानकारी डिजिटल माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- प्रत्येक शिकायत दर्ज होने पर स्वतः एक विशिष्ट शिकायत क्रमांक जारी होता है।
- कर्मचारी अपनी शिकायत की स्थिति और निवारण की प्रगति को देख सकते हैं।
- शिकायत के निवारण की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल अभिलेख सुरक्षित रहता है।
- इस व्यवस्था से शिकायत निवारण में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समयबद्धता में सुधार हुआ है।

कर्मचारियों की शिकायतों के प्रबंधन की प्रक्रिया को शिकायत पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप प्रदान किया गया है। इस पहल से शिकायतों के मैनुअल प्रबंधन के स्थान पर एक केंद्रीकृत एवं व्यवस्थित प्रणाली स्थापित हुई है। इसके परिणामस्वरूप शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में सुधार हुआ है। साथ ही, प्रबंधन को शिकायतों की स्थिति, उनके निस्तारण की प्रगति तथा निस्तारण में लगने वाले समय की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होने लगी है।

इस डिजिटल व्यवस्था से कर्मचारियों की शिकायतों के प्रभावी प्रबंधन में सुधार हुआ है तथा कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र और पारदर्शी समाधान के लिए अधिक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी सुरक्षित एवं स्व-प्रबंधित नेटवर्क अवसंरचना स्थापित एवं संचालित करके सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को और सुदृढ़ किया।

प्रमुख विशेषताएँ:

- संगठन के स्वयं के डोमेन नाम प्रणाली सर्वरों का विन्यास एवं प्रबंधन किया गया।
- सुरक्षित दूरस्थ संपर्क के लिए आभासी निजी नेटवर्क अवसंरचना स्थापित की गई।
- केंद्रीकृत उपयोगकर्ता एवं अभिगम प्रबंधन के लिए सक्रिय निर्देशिका सेवाओं का कार्यान्वयन एवं रखरखाव किया गया।
- आंतरिक अवसंरचना प्रबंधन के माध्यम से नेटवर्क सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया गया।

इन पहलों से साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने, नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करने में सहायता मिली।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों से कंपनी के डिजिटल तंत्र को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया है। इन पहलों से परिचालन दक्षता में वृद्धि, कर्मचारियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने तथा सूचना सुरक्षा को और मजबूत करने में सहायता मिली है। ये पहल सुरक्षित, दक्ष एवं

भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संगठन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के प्रति कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी का अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:

1. ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी के अवशोषण से संबंधित नियमों के भाग क एवं ख वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।
2. विदेशी मुद्रा से संबंधित आय एवं व्यय: आय - शून्य; व्यय - शून्य।

बैठकें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की कुल 7 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	निदेशक मंडल की बैठक	बैठक की तारीख
1	31वीं निदेशक मंडल बैठक	26 मई 2025
2	32वीं निदेशक मंडल बैठक	23 जुलाई 2025
3	33वीं निदेशक मंडल बैठक	10 सितंबर 2025
4	34वीं निदेशक मंडल बैठक	7 नवंबर 2025
5	35वीं निदेशक मंडल बैठक	5 जनवरी 2026
6	36वीं निदेशक मंडल बैठक	24 फरवरी 2026
7	37वीं निदेशक मंडल बैठक	27 मार्च 2026

समिति की बैठकें

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए निदेशक मंडल द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद
1	श्रीमती अंजना सिंह	अध्यक्ष
2	श्रीमती आकांक्षा सिंह	सदस्य
3	डॉ. मुकेश बेरिवाल	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की एक बैठक 27 मार्च 2026 को आयोजित की गई। उक्त अवधि के दौरान हितधारकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोई ऋण प्रदान नहीं किया, कोई गारंटी नहीं दी तथा कोई निवेश नहीं किया।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएँ/लेन-देन सामान्य व्यापार के अनुसार और एक्ट की प्रावधानों के अनुसार 'आर्म्स लेंथ' आधार पर किए गए। कंपनी ने प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया, जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव हो सकता हो। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई ऐसा अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सके या जिसे एक्ट की धारा 134(3)(h) और धारा 188 के अनुसार रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो और कंपनियों (खाते) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए।"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित कपट के संबंध में विवरण, सिवाय उन मामलों के जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदित किए जाने योग्य हैं

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई ऐसा कपट प्रतिवेदित नहीं किया गया है, जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदित किए जाने योग्य हो।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन एक व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है, जिसमें संभावित जोखिमों, चाहे वे चुनौतियों के रूप में हों अथवा अवसरों के रूप में, की पहचान, मूल्यांकन एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात ऐसे रणनीतिक उपाय किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य संगठन पर जोखिमों के प्रभाव को कम करना, उनकी निगरानी करना अथवा उन्हें नियंत्रित करना होता है। जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य नकारात्मक घटनाओं की संभावना को कम करना तथा संभावित अवसरों का अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जोखिम प्रबंधन की एक सुव्यवस्थित रूपरेखा अपनाई गई है, जिससे जोखिमों पर प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति तैयार कर लागू की गई है तथा उक्त नीति को निदेशक मंडल द्वारा अंगीकृत किया गया है।

जमा राशियां (Deposit)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कोई भी जमा (Deposit) स्वीकार नहीं की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षित रखने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं शिकायत निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित किया है। इसके लिए कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम तथा प्राप्त शिकायतों के उचित निवारण के लिए आवश्यक नीति लागू की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	संख्या
वर्ष के दौरान प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	शून्य
नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

कंपनी द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, निषेध एवं शिकायत निवारण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति से संबंधित संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

सतर्कता तंत्र (Vigil Mechanism)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निदेशक मंडल एवं उसकी शक्तियों से संबंधित नियम, 2013 के नियम 6 एवं 7 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

वार्षिक विवरणी का वेब लिंक

<https://www.kasheemilk.com/annual-returns/>

अन्य प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी कंपनी कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनी के रूप में स्थापित नहीं हुई है और न ही ऐसी किसी कंपनी का कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनी का दर्जा समाप्त हुआ है।

ख) नियामकों, न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसका कंपनी की निरंतर व्यवसाय संचालन की स्थिति अथवा भविष्य में कंपनी के संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो।

ग) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के तहत कंपनी के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है और न ही कोई ऐसी कार्यवाही लंबित है, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो।

घ) एकमुश्त ऋण निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन में अंतर तथा उसके कारणों का विवरण कंपनी पर लागू नहीं है।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार, कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है।

आगे की दिशा (WAY FORWARD)

पिछले चार वर्षों के दौरान स्थापित मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए, कंपनी स्थिरता, नवाचार एवं संस्थागत उत्कृष्टता को अपनाते हुए अपने प्रभाव एवं कार्यक्षेत्र के विस्तार पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है।

आगामी वर्षों के लिए कंपनी की प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं:

- **सतत डेयरी विकास को बढ़ावा देना:** वैज्ञानिक परामर्श सेवाओं एवं संसाधनों के सतत प्रबंधन के माध्यम से छोटे एवं सीमांत दुग्ध उत्पादक सदस्यों के बीच पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी डेयरी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।
- **पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना:** संपूर्ण मूल्य शृंखला में जल के उपयोग का अनुकूलन, ऊर्जा की खपत में कमी तथा अपशिष्ट को न्यूनतम करके परिचालन दक्षता में सुधार करना।
- **रणनीतिक विस्तार:** कंपनी के स्वयं के लाभ से प्रयागराज, जौनपुर एवं कौशाम्बी जिलों के अतिरिक्त 800 गांवों तक अपने संचालन का विस्तार करना तथा अधिक ग्रामीण परिवारों तक संगठित डेयरी विकास के लाभ पहुंचाना।
- **जलवायु-अनुकूल डेयरी पद्धतियों को बढ़ावा देना:** वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन पद्धतियों को निरंतर प्रोत्साहित करना, जिससे उत्पादकता में वृद्धि, पशु स्वास्थ्य में सुधार तथा हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित हो सके।

- **संस्थागत उत्कृष्टता:** कंपनी को डेयरी क्षेत्र में एक आदर्श उत्पादक कंपनी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शासन व्यवस्था, सदस्य सहभागिता तथा संगठनात्मक क्षमताओं को और सुदृढ़ करना।
- **डिजिटल रूपांतरण:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दुग्ध खरीद, अनुरेखण, पारदर्शिता तथा आंकड़ा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करना।
- **कागजरहित संचालन:** पूर्णतः कागजरहित कार्यप्रणाली की दिशा में आगे बढ़ना तथा सदस्यों एवं हितधारकों के लिए सूचनाओं तक सुगम एवं पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करना।
- **सदस्य सशक्तिकरण:** कंपनी द्वारा विकसित काशी ई-डेयरी ऐप के उपयोग का विस्तार करना, जिससे सदस्य किसी भी समय दुग्ध खरीद, गुणवत्ता, भुगतान एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।
- **ग्राम स्तर पर डिजिटलीकरण:** सहायक मित्र ऐप के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करना, जिससे ग्राम स्तर पर दुग्ध संग्रहण से जुड़े कार्मिकों को दुग्ध खरीद, प्रोत्साहन राशि एवं कंपनी की पहलों से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध हो सके।
- **सतत भविष्य का निर्माण:** उत्पादक सदस्यों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्य का निरंतर सृजन करना तथा सतत ग्रामीण विकास एवं हरित भविष्य के निर्माण में सार्थक योगदान देना।

आभार एवं कृतज्ञता

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी में निरंतर विश्वास, सहयोग एवं समर्थन प्रदान करने के लिए सभी सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों, बैंकों एवं अन्य सभी हितधारकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है। साथ ही, कंपनी की प्रगति एवं विकास में सामूहिक रूप से योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों की प्रतिबद्धता, समर्पण एवं योगदान की भी सराहना करता है।

दिनांक: 20/08/2026

स्थान: वाराणसी

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित/-

श्रीमती अंजना सिंह

अध्यक्ष

निदेशक पहचान संख्या: 10190931

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरणों के नोट्स, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुसार आवश्यक जानकारी दी गई है। ये वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और 31 मार्च 2026 को कंपनी की वित्तीय स्थिति, उस वर्ष के लाभ तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपना लेखापरीक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी" भाग में वर्णन किया गया है।

हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लागू नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां भी पूरी की हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी अन्य जानकारी तैयार करने की है। इसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उसकी संलग्नक रिपोर्ट तथा व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इस अन्य जानकारी पर लागू नहीं होती और हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के दौरान, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह अन्य जानकारी हमें उपलब्ध हो, तब हम उसे पढ़ें और यह विचार करें कि क्या यह जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से अलग है अथवा इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण दिखाई देता है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हमें लगता है कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत हो।

इसके लिए कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखांकन अभिलेख बनाए रखना, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना आवश्यक है।

प्रबंधन और निदेशक मंडल उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उनका उपयोग करने, उचित एवं सावधानीपूर्वक अनुमान लगाने तथा प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इन नियंत्रणों का उद्देश्य लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करना तथा ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करना है जिनमें धोखाधड़ी या गलती के कारण कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण न हो।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी के निरंतर चलने की क्षमता का आकलन करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। जहां आवश्यक हो, उन्हें कंपनी के निरंतर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करना होता है और वित्तीय विवरण तैयार करने में निरंतर संचालन के आधार को अपनाना होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को बंद करने या उसका कारोबार समाप्त करने का इरादा न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरणों में, समग्र रूप से, धोखाधड़ी या गलती के कारण कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं है और उसके आधार पर ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो।

उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षण हमेशा मौजूद महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा लेगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकते हैं और यदि वे अकेले या मिलाकर वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।

लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षण करते समय हम अपने पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और पूरे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवर सतर्कता बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या गलती के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं तथा उन जोखिमों के अनुसार लेखापरीक्षण प्रक्रियाएं तैयार और लागू करते हैं। हम अपनी राय के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न चलने का जोखिम गलती के कारण होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी

- में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर जानकारी छिपाना, गलत जानकारी देना या आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों को समझते हैं, ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षण प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार, हम यह राय देने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि वित्तीय विवरणों से संबंधित कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।
- प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की उचितता का मूल्यांकन करते हैं।
- वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा निरंतर संचालन के आधार का उपयोग उचित है या नहीं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। साथ ही, उपलब्ध लेखापरीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह देखते हैं कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी के निरंतर संचालन की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता पाई जाती है, तो हम अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित खुलासे की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि ऐसे खुलासे पर्याप्त नहीं हैं, तो हमें अपनी राय में आवश्यक संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी के निरंतर संचालन को प्रभावित कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु, जिसमें किए गए खुलासे भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि वित्तीय विवरणों में संबंधित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है या नहीं जिससे उनका सही और निष्पक्ष चित्र प्राप्त हो।

हम लेखापरीक्षण की योजना, कार्यक्षेत्र और समय-सीमा तथा लेखापरीक्षण के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्षों, जिसमें आंतरिक नियंत्रणों की कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल और संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से संवाद करते हैं।

हम उन्हें यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी लागू नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी देते हैं जिनसे हमारी स्वतंत्रता प्रभावित होने की उचित संभावना हो सकती है तथा, जहां आवश्यक हो, संबंधित सुरक्षा उपायों की भी जानकारी देते हैं।

अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

- केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, आदेश के पैरा 3 और 4 में बताए गए मामलों के संबंध में, जहां तक वे कंपनी पर लागू होते हैं, हमारा विवरण "अनुलग्नक A" में दिया गया है।
- (A) अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार:

क. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, कंपनी ने कानून के अनुसार आवश्यक उचित लेखा-पुस्तकें रखी हैं, जैसा कि हमारी जांच से पता चला है।

ग. हमारी राय में, इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा-पुस्तकों से मेल खाते हैं।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2014 के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

ङ. निदेशकों से प्राप्त लिखित घोषणाओं और निदेशक मंडल द्वारा उन्हें अभिलेख में लिए जाने के आधार पर, 31 मार्च 2026 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

च. वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रभावी रूप से कार्य करने के संबंध में, “अनुलग्नक B” में दी गई हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ. अधिनियम के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG के अनुसार, उस धारा में निर्दिष्ट मामलों का विवरण “अनुलग्नक C” में दिया गया है।

(B) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) 31 मार्च 2026 को कंपनी के विरुद्ध कोई ऐसी लंबित कानूनी कार्यवाही नहीं है, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव वित्तीय विवरणों में पड़ता हो। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 31 देखें।

ख) कंपनी के पास कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं था, जिससे कोई महत्वपूर्ण अनुमानित नुकसान होने की संभावना हो।

ग) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाने वाली कोई राशि नहीं थी।

घ);

(i) प्रबंधन ने बताया है कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने उधार ली गई राशि, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत अथवा किसी भी प्रकार की राशि से किसी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं (“मध्यस्थ”), को कोई राशि अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी है और न ही निवेश किया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ:

- कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (“अंतिम लाभार्थियों”) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा; या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनके लिए कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करेगा।

(ii) प्रबंधन ने यह भी बताया है कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं (“वित्तपोषणकर्ता”), से ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ कि कंपनी:

- वित्तपोषणकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (“अंतिम लाभार्थियों”) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगी या निवेश करेगी; या

- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करेगी।

(iii) परिस्थितियों के अनुसार उचित और आवश्यक माने गए लेखापरीक्षण परीक्षणों के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि उपर्युक्त उप-खंड (घ)(i) और (घ)(ii) में दिए गए प्रबंधन के कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

ड) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 30 के अनुसार:

- (i) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा इस वर्ष घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।
- (ii) निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2026 को पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

च)

- (i) हमारी जांच, जिसमें नमूना आधार पर जांच भी शामिल है, के आधार पर कंपनी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा-पुस्तकें बनाए रखने हेतु Tally Prime लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। इस सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षण ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा उपलब्ध है और वर्षभर सभी संबंधित लेन-देन के लिए यह सुविधा कार्यरत रही है।
- (ii) कंपनी ने दूध संग्रहण में मात्रा तथा FAT/SNF दर्ज करने के लिए Sarthak सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। इस सॉफ्टवेयर में संबंधित सभी लेन-देन के लिए लेखापरीक्षण ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा सक्रिय थी।
- (iii) जिस अवधि में लेखापरीक्षण ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा सक्रिय और कार्यरत थी, उस दौरान हमें लेखापरीक्षण ट्रेल में किसी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों में जहां लेखापरीक्षण ट्रेल की सुविधा सक्रिय और कार्यरत थी, वहां कंपनी ने वैधानिक रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षण ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

(C) अधिनियम की धारा 197(16) के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाने वाले मामले के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्तमान वर्ष में कंपनी द्वारा निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। अतः अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

एन. आर. एंड एसोसिएट्स के लिए

सनदी लेखाकार

FRN: 312101E

महुआ भट्टाचार्य

भागीदार

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN:26508592UCJLXF4851

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-A

कशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में

(यह परिशिष्ट हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित है। यह रिपोर्ट 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी के सदस्यों को दी गई है।)

(i) (क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अन्य अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:

A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के पूरे विवरण, जिसमें उनकी मात्रा एवं स्थिति का विवरण भी शामिल है, दर्शाने वाले उचित अभिलेख सामान्य रूप से बनाए रखे हैं।

B) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किए जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार किया गया। हमारे मत में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

(ग) कंपनी के पास स्वयं के स्वामित्व वाली या लीज पर ली गई कोई अचल संपत्ति, भूमि या भवन नहीं है। अतः CARO 2020 के खंड (i)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्तियों में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी बेनामी संपत्ति को रखने के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii)

(क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया। हमारे मत में, इस सत्यापन की आवृत्ति उचित है तथा प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और सत्यापन का दायरा उचित है। भौतिक भंडार और लेखा अभिलेखों के बीच किसी भी वर्ग के भंडार में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक का कोई अंतर नहीं पाया गया।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से कोई ऋण नहीं लिया है।

(iii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है तथा किसी को गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और ऋण के रूप में कोई अग्रिम राशि भी नहीं दी है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित।

(iv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया है तथा कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत भी कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने दिए गए ऋण और किए गए निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का पालन किया है।

(v) हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और वर्ष की शुरुआत में भी कंपनी के पास कोई दावा न की गई जमा राशि नहीं थी, जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 (संशोधित) में बताया गया है। अतः आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि या ऐसी कोई राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा राशि माना जाता हो। अतः आदेश का खंड 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों और/या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेख बनाए रखने का प्रावधान निर्धारित नहीं किया है। अतः आदेश का खंड 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी की पुस्तकों में दर्ज या देय वस्तु एवं सेवा कर (GST), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयताओं की राशियां सामान्यतः संबंधित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई हैं।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने सामान्यतः लागू वैधानिक देयताओं, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयताओं को संबंधित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया है। हालांकि, श्रमिकों की मजदूरी पर देय भविष्य निधि की राशि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जमा नहीं की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 को ऐसी कोई निर्विवाद वैधानिक देय राशि बकाया नहीं थी, जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक समय से बकाया हो।

नीचे वार्षिक रिपोर्ट के लिए सरल, स्पष्ट एवं औपचारिक हिंदी में अनुवाद दिया गया है। तथ्यों और आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(क) छह माह से अधिक समय से बकाया भविष्य निधि

31 मार्च 2026 को छह माह से अधिक समय से बकाया और जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, ऐसी भविष्य निधि (Provident Fund) की विवाद रहित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

अधिनियम का नाम	बकाया राशि का प्रकार	छह माह से अधिक समय से बकाया राशि (रु.)	संबंधित अवधि	देय तिथि	भुगतान की तिथि
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	नियोक्ता एवं कर्मचारी का भविष्य निधि अंशदान, पेंशन निधि एवं प्रशासनिक शुल्क	1,69,214.20	अप्रैल 2025 से सितंबर 2025	विभिन्न देय तिथियाँ	भुगतान नहीं किया गया

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या अन्य वैधानिक देय राशियों में ऐसी कोई राशि नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया हो।

(viii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही में ऐसी कोई पूर्व में लेखा पुस्तकों में दर्ज न की गई आय या लेन-देन सामने नहीं आया है, जिसे कंपनी ने बाद में आय के रूप में स्वीकार या घोषित किया हो।

(ix)

(क) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, कंपनी ने किसी ऋण या उधार की मूल राशि अथवा उस पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से कोई ऋण नहीं लिया है और न ही कोई डिबेंचर जारी किया है।

(ख) हमारी राय में तथा कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जाँच के आधार पर, अल्पकालीन आधार पर प्राप्त किसी भी राशि का उपयोग दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। अतः आदेश की धारा 3(ix)(e) कंपनी पर लागू नहीं होती।

(घ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। अतः आदेश की धारा 3(ix)(f) कंपनी पर लागू नहीं होती।

(x)

(क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) या आगे का सार्वजनिक निर्गम (FPO), जिसमें ऋण प्रतिभूतियाँ भी शामिल हैं, के माध्यम से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। अतः आदेश की धारा 3(x)(a) कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। अतः आदेश की धारा 3(x)(b) के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 एवं धारा 62 की आवश्यकताएँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(xi)

(क) कंपनी की लेखा पुस्तकों एवं अभिलेखों की जाँच तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और लेखा परीक्षा मानकों में निर्धारित महत्वपूर्णता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध किसी धोखाधड़ी का पता नहीं चला और न ही ऐसी कोई धोखाधड़ी हमारे संज्ञान में लाई गई।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनियाँ (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार केंद्र सरकार को फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जहाँ लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

(xiv) आंतरिक लेखा परीक्षा

(क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है।

(xv) निदेशकों के साथ गैर-नकद लेन-देन

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश की धारा 3(xv) भी कंपनी पर लागू नहीं होती।

xvi)

क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 3(xvi)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता।

ख) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 3(xvi)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता।

ग) कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 3(xvi)(ग) कंपनी पर लागू नहीं होता।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(घ) की आवश्यकताएँ लागू नहीं होती हैं।

xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष तथा इससे ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि (Cash Loss) नहीं हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों (Statutory Auditors) ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण, वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु एवं उनकी वसूली की अपेक्षित तिथि, वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथि तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य जानकारी के आधार पर, हमें ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं मिली, जिससे यह माना जाए कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी देनदारियों का भुगतान, जब वे देय हों, करने में सक्षम नहीं होगी।

हालाँकि, यह कंपनी की भविष्य में व्यवसाय जारी रखने की क्षमता की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं है। हमारी रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। हम यह गारंटी या आश्वासन नहीं देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा उनकी देय तिथि पर किया जाएगा।

xx) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्वतंत्र (Standalone) वित्तीय विवरणों के ऑडिट पर लागू नहीं होती है। इसलिए इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

एन. आर. एंड एसोसिएट्स के लिए

सनदी लेखाकार

FRN: 312101E

महुआ भट्टाचार्य

भागीदार

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN:26508592UCJLXF4851

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-B

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' भाग के पैरा 2(A)(F) के संदर्भ में)

हमने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है। यह लेखापरीक्षण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन एवं निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखा है।

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, ताकि:

- कंपनी का व्यवसाय व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से संचालित हो;
- कंपनी की नीतियों का पालन सुनिश्चित हो;
- कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा हो;
- धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम और पहचान हो;
- लेखांकन अभिलेख सही एवं पूर्ण रहें; तथा
- कानून के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार की जा सके।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपना लेखापरीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया है, जहां तक ये मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर लागू होते हैं।

इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना तथा लेखापरीक्षण की योजना बनाकर उसे इस प्रकार करना आवश्यक है कि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं बनाए रखे गए हैं और सभी महत्वपूर्ण मामलों में ये नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसके प्रभावी संचालन के संबंध में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल थीं। इसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी की संभावना का आकलन करना तथा आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा और उनके प्रभावी संचालन की जांच एवं मूल्यांकन करना शामिल था।

चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण होने के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षण राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उपयोग के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो:

1. ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जिनमें कंपनी के लेन-देन और उसकी संपत्तियों के उपयोग या हस्तांतरण का सही और उचित विवरण पर्याप्त स्तर तक दर्ज हो;
2. यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन आवश्यकतानुसार दर्ज किए जाते हैं, ताकि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय प्रबंधन एवं निदेशकों की स्वीकृति के अनुसार ही किए जाएं; और
3. कंपनी की संपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या हस्तांतरण की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की कुछ स्वाभाविक सीमाएं होती हैं। इनमें आपसी मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों को अनुचित रूप से दरकिनार करने की संभावना शामिल है। इसके कारण त्रुटि या धोखाधड़ी से होने वाली महत्वपूर्ण गलतियां हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल सकता है।

इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन पर यह जोखिम रहता है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त न रह जाएं या नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो जाए।

हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और ये नियंत्रण 31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। यह राय कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के मानदंड तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों के आधार पर दी गई है।

एन. आर. एंड एसोसिएट्स के लिए

सनदी लेखाकार

FRN: 312101E

महुआ भट्टाचार्य

भागीदार

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN:26508592UCJLXF4851

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-C

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' भाग के पैरा 7 के संदर्भ में)

- i. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली बकाया राशि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 17 में दी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 17 में बताई गई किसी भी बकाया राशि को संदिग्ध वसूली योग्य नहीं माना गया है।
- ii. 31 मार्च 2026 को उपलब्ध नकद और नकद समकक्ष राशि का प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और इस सत्यापन के दौरान कोई अंतर नहीं पाया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूति नहीं है।
- iii. 31 मार्च 2026 को कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या अंशदान नहीं दिया है।

एन. आर. एंड एसोसिएट्स के लिए

सनदी लेखाकार

FRN: 312101E

महुआ भट्टाचार्य

भागीदार

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN:26508592UCJLXF4851

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए चिह्न

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 तक रुपये	रुपये लाखों में 31 मार्च 2025 तक रुपये
अ समता एवं दायित्व			
1 अंशधारक कोष			
(ए) अंश पूँजी	3	696.69	514.60
(बी) संवित एवं अधिशेष	8	1,365.03	1,038.96
		2,061.72	1,553.56
2 आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि	42	—	12.37
3 स्थगित अनुदान	9	812.20	1,146.36
4 गैर चालू दायित्व			
(ए) दीर्घ विधि उधर		—	—
(बी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां (NET)		—	—
(सी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां		—	—
(डी) दीर्घकालिक अवधि प्रावधान	10	48.70	19.98
		48.70	19.98
5 चालू दायित्व			
(ए) अल्पकालीन उधार		—	—
(बी) व्यापारिक देनदारिया			
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	11	77.10	35.29
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,535.43	994.81
(iii) अन्य चालू दायित्व	12	628.57	399.69
(iv) लघु अवधि प्रावधान	13	165.88	93.15
कुल		2,406.98	1,522.93
		5,329.60	4,255.20
ब संपत्तियाँ			
1 गैर चालू संपत्तिया			
(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	4	862.74	1,148.88
(ii) अमूर्त संपत्ति	5	2.01	0.35
(iii) कार्य में लगी पूँजी	6	124.18	13.62
(iv) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ		—	—
(बी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	14	20.36	10.67
(सी) दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम		—	—
(डी) अन्य गैर-चालू संपत्ति	15	1.26	1.26
		1,010.56	1,174.78
2 चालू संपत्तिया			
(ए) इन्वेंटरी	16	313.34	177.05
(बी) व्यापारिक लेनदारिया	17	1,273.45	930.20
(सी) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	18	2,496.76	1,886.38
(डी) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	19	3.99	2.04
(ई) अन्य चालू संपत्ति	20	231.50	84.76
कुल		4,319.04	3,080.42
		5,329.60	4,255.20
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें	2		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साक्षात्कारी
सदस्यता संख्या : 508592

स्थान :
दिनांक :

ह./—
अरुण कुमार मौर्या
उप प्रबंधक-वित्त एवं लेखा

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

स्थान : वाराणसी
दिनांक : 20.08.2026

ह./—
आकांक्षा सिंह
निदेशक
डी आई एन : 11211650

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण	नोट संख्या	रुपये लाखों में	
		31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
1 परिचालक से राजस्व	21	28,650.77	19,560.26
2 अन्य आय	22	158.71	356.51
3 कुल राजस्व (1+2)		28,809.49	19,916.77
4 व्यय			
(ए) व्यापार में लगे स्टॉक की खरीद	23	24,346.56	16,584.36
(बी) खरीद व्यय	24	1,535.22	1,136.53
(सी) व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	25	(130.61)	(9.35)
(डी) कर्मचारी लाभ व्यय	26	383.07	276.66
(ई) पूर्व अवधि का राजस्व अनुदान	27	81.09	—
(एफ) मूल्यहास्य और परिशोधन व्यय		12.23	3.09
(जी) अन्य व्यय	28	2,079.42	1,670.80
कुल व्यय		28,306.98	19,662.09
5 कर पूर्व लाभ (3-4)		502.51	254.68
6 कर व्यय			
(ए) चालू कर		144.79	73.79
(बी) स्थगित कर		(9.69)	(3.92)
(सी) पहले के वर्षों में संबंधित लघु / (अतिरिक्त) आयकर		—	(42.24)
कुल कर (ए+बी+सी)		135.27	27.63
7 व्यापार के लिए लाभ (5-6)		367.24	227.05
प्रति समता अंश आय			
(नॉमिनल वैल्यू रुपये 100 प्रति अंश)			
(ए) मूल	33	20	12
(बी) डाईल्यूटेड		20	12
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें	2		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
वार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साक्षिदारी
सदस्यता संख्या : 508592

स्थान :
दिनांक :

ह./—
अरुण कुमार मौर्या
उप प्रबंधक—वित्त एवं लेखा

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

स्थान : वाराणसी
दिनांक : 20.08.2026

ह./—
आकांक्षा सिंह
निदेशक
डी आई एन : 11211650

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 तक रुपए	रुपए लाखों में 31 मार्च 2025 तक रुपए
ए परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
वर्ष के लिए लाभ हानि		367.24	227.05
समयोजन के लिए			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		28.07	9.82
मूल्याहस एवं परिशोधन व्यय		12.23	3.09
		—	—
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ		408.18	239.96
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन			
इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि)		(146.74)	152.49
व्यापार प्राप्तियां में कमी/(वृद्धि)		(136.30)	(5.74)
ऋण और अग्रिम में कमी/(वृद्धि)		(343.25)	366.80
व्यापारिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(1.96)	1.20
अन्य चालू दिन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		582.44	153.02
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		228.87	135.63
संचालन से उत्पन्न नकद		72.73	(162.09)
शुद्ध आयकर (मुगतान किया गया) घनवापसी		255.81	641.31
परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)		663.98	881.27
(बी) विनियोग गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
सीडब्ल्यू आईपी सहित संपत्ति संयंत्र उपकरण और अमूर्त		(169.26)	(281.12)
संपत्ति का निस्तारण /निपटान		10.04	266.15
प्राप्त ब्याज		—	—
अनुदान वापसी का प्रावधान		(13.25)	—
प्रावधान— गैर चालू		(9.69)	(3.92)
विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		(182.16)	(18.89)
मुगतान के लिए प्रत्यक्ष कर		—	—
(सी) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
इक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्तियां		169.72	155.59
दीर्घकालीन उधार से प्राप्तियां		—	—
कार्यशील पूंजी उधार में निवल वृद्धि/(कमी)		—	—
लामांश दिया		(41.17)	(25.60)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		128.55	129.99
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध कमी/वृद्धि (ए+बी+सी)		610.37	992.36
जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का प्रारंभिक शेष		—	—
अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		1,886.38	894.02
रोकड़ एवं रोकड़ वित्तीय विवरण इस प्रकार है :		2,496.75	1,886.38
जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण		2,496.75	1,886.38
बैलेंस शीट के अनुसार जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (नोट 15)		2,496.76	1,886.38

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साक्षीदारी
सदस्यता संख्या : 508592

स्थान :
दिनांक :

ह./—
अरुण कुमार मौर्या
उप प्रबंधक—वित्त एवं लेखा

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

स्थान : वाराणसी
दिनांक : 20.08.2026

ह./—
आकांक्षा सिंह
निदेशक
डी आई एन : 11211650

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेट जानकारी

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 11 नवंबर, 2021 को शामिल किया गया था।

कंपनी ने 9 मार्च, 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में खरीद कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी वाराणसी और उसके आसपास के गांवों में "मिल्क प्रूलिंग पॉइंट्स" (एमपीपी) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और इसे एनडीडीबी डेयरी सर्विस और खुले बाजार में अन्य डेयरियों को बेचती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(ए) लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत प्रोदभवन आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

(बी) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं।

(सी) राजस्व मान्यता

बिक्री को रिटर्न और व्यापार छूट के अलावा, महत्वपूर्ण जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों को खरीदारों को हस्तांतरित करने पर मान्यता दी जाती है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

कंपनी मुख्य रूप से दूध के साथ—साथ पशु आहार, मिनरल मिक्सचर आदि की बिक्री में लगी हुई है।

उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री रिटर्न और व्यापार छूट के योग के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, जब उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, हानि और इनाम का महत्वपूर्ण जोखिम स्थानांतरित कर दिया गया है, और या तो ग्राहक ने बिक्री अनुबंध के अनुसार उत्पादों को स्वीकार कर लिया है, या कंपनी ने वस्तुनिष्ठ साक्ष्य कि स्वीकृति के सभी मानदंड पूरे कर दिए गए हैं।

(डी) अन्य कमाई

जमा पर ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है, सदस्यों से प्रवेश शुल्क संचय के आधार पर पहचाना जाता है और राजस्व अनुदान का उपयोग संचय के आधार पर किया जाता है।

(ई) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत में किसी भी व्यापार छूट और छूट, किसी भी आयात शुल्क और अन्य करों (कर अधिकारियों से बाद में वसूली योग्य के अलावा) के अलावा इसकी खरीद मूल्य, परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय, अन्य शामिल हैं। परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक योग्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण होने वाले आकस्मिक खर्च और उधार पर ब्याज। अचल संपत्तियों की खरीद/पूरा होने के बाद उन पर होने वाले व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभ में प्रदर्शन के पहले से निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है।

(एफ) कैपिटल कार्य — प्रगति पर

जो संपत्तियां अभी अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और जिम्मेदार ब्याज शामिल होते हैं।

(जी) मूल्यहास और परिशोधन

(i) परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार मूल अचल संपत्तियों पर मूल्यहास सीधी-रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है। संपत्ति के जीवन का मूल्यांकन तकनीकी सलाह के आधार पर किया गया है, जिसमें संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्माता की वारंटी और को ध्यान में रखा गया है। रखरखाव सहायता, आदि:

संपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवन
मिल्क कैन	4 वर्ष
प्लांट एवं मशीनरी	10 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष
सॉफ्टवेयर	1 वर्ष

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(ii) अचल संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य 1 रुपये प्रत्येक पर बरकरार रखा गया है।

(एच) संपत्ति की क्षति

यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है तो प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों/नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के अग्रणी मूल्यांकन की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित अमूर्त संपत्तियों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है, भले ही कोई संकेत न हो कि संपत्ति क्षतिग्रस्त है:

(ए) एक अमूर्त संपत्ति जो अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। और

(बी) एक अमूर्त संपत्ति जिसका परिशोधन उस तारीख से दस वर्ष से अधिक की अवधि में किया जाता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

यदि संपत्ति की वहन राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए हानि को मान्यता दी जाती है। हानि को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयोग में आने वाला मूल्य उचित छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर निकाला जाता है।

जब कोई संकेत मिलता है कि पहले की लेखांकन अवधि में किसी परिसंपत्ति के लिए पहचानी गई हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो हानि के ऐसे उलट को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिस हद तक राशि पहले विवरण में चार्ज की गई थी लाभ और हानि का।

(आई) इन्वेंटरी

जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के बाद लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया जाता है। भारत औसत विधि का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाले सभी शुल्क शामिल हैं।

(जे) अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, यानी ऐसे अनुदान से प्राप्त संपत्ति पर लगाए गए मूल्यहास को विनियोजित किया जाता है। आस्थगित अनुदान से और कम मूल्यहास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

राजस्व अनुदान और सब्सिडी को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(के) कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल है जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की लागत का हिसाब इस प्रकार लगाया जाता है:

(ए) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो भविष्य में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की उनकी पात्रता को बढ़ाती हैं। और

(बी) गैर-संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के मामले में, जब अनुपस्थिति होती है।

कंपनी के पास परिभाषित-योगदान और परिभाषित-लाभ दोनों योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजना में विशेष निधि या प्रतिभूतियों में कुछ संपत्तियां होती हैं और योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

i परिभाषित-योगदान योजनाएँ

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और आवश्यक योगदान की राशि और कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर व्यय के रूप में लिया जाता है।

ii परिभाषित-लाभ योजनाएँ

गेच्युटी फंड के रूप में परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं। पिछली सेवा लागत को तुरंत इस हद तक पहचाना जाता है कि लाभ पहले से ही निहित हैं और अन्यथा लाभ निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत के लिए समायोजित करता है, जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है। इस गणना से उत्पन्न कोई भी संपत्ति पिछली सेवा लागत, साथ ही उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और योजनाओं में भविष्य के योगदान में कटौती तक सीमित है।

iii. अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा अनुपस्थिति जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, उसे बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(एल) आय पर कर

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है जो लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), जो भविष्य की आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का पुख्ता सबूत है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर पहचाना जाता है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अवशोषित मूल्यहास के अलावा अन्य मदों के समय के अंतर के लिए मान्यता दी जाती है और नुकसान को केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहाँ उचित निश्चितता मौजूद होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, यदि अवशोषित मूल्यहास और घाटे को आगे बढ़ाया जाता है, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब ठोस सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता हो, कि परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं समान कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

भंडार में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान और आस्थगित कर को भंडार में मान्यता दी जाती है न कि लाभ और हानि के विवरण में।

(एम) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। नोट्स में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

(एन) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज, सहायक लागतों का परिशोधन और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जिन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। निधियों को उधार लेने से संबंधित लागत उस सीमा तक, जो सीधे तौर पर योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित नहीं है, ऋण की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है। योग्य परिसंपत्तियों के निर्माणविकास से संबंधित गतिविधियों की शुरुआत से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित, पात्र परिसंपत्तियों के लिए आवंटित और उपयोग की गई उधार लागत को परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है। जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि बाधित होती है, तो विस्तारित अवधि के दौरान उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है और लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

(ओ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) को विभाजित करके की जाती है (असाधारण वस्तुओं के कर के बाद के प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को व्यय या आय (किसी भी जिम्मेदार करों का शुद्ध) के लिए लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्क के लिए समायोजित किया जाता है। डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के लिए, प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी डाइल्यूटिव माना जाता है यदि इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ कम हो जाएगा। संभावित डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद की तारीख में जारी नहीं किया गया हो।

(पी) पट्टे

पट्टा व्यवस्था जहाँ किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक पट्टादाता के पास निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा किराये को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(क्यू) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

(आर)भौतिक घटनाआएं

बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

(एस)नकद और नकद समकक्ष (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकदी में हाथ में नकदी और बैंकों के पास मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

(टी) संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और संपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 3: शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2026 तक		31 मार्च 2025 तक	
	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)
(ए) अधिकृत शेयर पूंजी				
रुपये 100/— प्रत्येक के 10,00,000 समता अंश	1,000,000	1,000.00	1,000,000	1,000.00
(बी) जारी निर्गमित और पेडअप				
रुपये 100/— प्रत्येक के 696685 पूर्ण प्रदत्त समता अंश	696,685	696.69	514,597	514.60
नीचे (i) से (iv) नोट देखें				
(i) अंशों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध				
कंपनी के पास शेयरों की केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, कंपनी के बशर्ते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार सीमित रिटर्न (लामांश) और बोनस के हकदार हैं।				
(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान				
रुपये 100/— प्रत्येक के समता अंश	31 मार्च 2026 तक		31 मार्च 2025 तक	
	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	514,597	514.60	319,962	319.96
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	236,972	236.97	217,648	217.65
घटाएं : वर्ष के दौरान रद्द किए गए शेयर	(54,884)	(54.88)	(23,013)	(23.01)
वर्ष के अंत तक	696,685	696.69	514,597	514.60
(iii) कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 'निर्माता कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की 5% या अधिक शेयर पूंजी नहीं है।				
(iv) वर्ष के दौरान नकद या बोनस के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।				

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

रुपये लाखों में

4.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नेट) का विवरण इस प्रकार है: की वहन राशि:

	31 मार्च 2026 तक 31 मार्च 2025 तक	
(ए) प्लॉट एवं मशीनरी	730.03	990.93
(बी) कार्यालय उपकरण	22.67	30.47
(सी) फर्नीचर एवं फिक्स्चर	94.27	104.39
(डी) कंप्यूटर और लैपटॉप	15.76	23.09
कुल	862.74	1,148.88

4.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी	कुल
जिला ब्लॉक					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
अतिरिक्त निपटान	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	36.01	23.39	8.98	555.95	624.33
अतिरिक्त निपटान	31.43	70.86	30.80	498.97	632.06
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	67.44	94.25	39.78	1,052.97	1,254.45
अतिरिक्त निपटान	3.01	26.82	6.06	390.19	426.08
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	70.44	120.80	45.85	1,440.37	1,677.46
अतिरिक्त निपटान	7.00	2.82	0.39	32.60	42.27
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	77.45	122.94	46.23	1,470.15	1,716.77
संचित मूल्यहास					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
मूल्यहास व्यय निपटान	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
मूल्यहास व्यय निपटान	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	9.78	1.19	1.53	57.35	69.85
मूल्यहास व्यय निपटान	15.87	5.57	5.48	168.47	195.38
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	25.65	6.76	7.01	225.82	265.24
मूल्यहास व्यय निपटान	21.70	9.66	8.37	223.62	263.34
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	47.35	16.41	15.38	449.44	528.58
मूल्यहास व्यय निपटान	14.34	12.25	8.19	290.67	325.45
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	61.69	28.67	23.56	740.11	854.03
वहन राशि					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
मूल्यहास व्यय निपटान	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
अतिरिक्त निपटान	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
मूल्यहास व्यय निपटान	—	0.02	—	0.05	0.07
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
अतिरिक्त निपटान	31.43	70.86	30.80	498.97	632.06
मूल्यहास व्यय निपटान	—	—	—	1.95	1.95
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	41.79	87.50	32.77	827.15	989.21
अतिरिक्त निपटान	3.01	26.82	6.06	390.19	426.08
मूल्यहास व्यय निपटान	—	0.27	—	2.79	3.06
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	23.09	104.39	30.47	990.93	1,148.88
अतिरिक्त निपटान	7.00	2.28	0.39	32.60	42.27
मूल्यहास व्यय निपटान	—	0.14	—	2.82	2.96
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	15.76	94.27	22.67	730.03	862.74
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	41.79	87.50	32.77	827.15	989.21
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	23.09	104.39	30.47	990.93	1,148.88
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	15.76	94.27	22.67	730.03	862.74

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ: पूँजीगत अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी	रुपये लाखों में कुल
सकल लागत					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
अतिरिक्त	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
निपटान	—	0.02	—	0.05	0.07
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	36.01	23.39	8.98	555.95	624.33
अतिरिक्त	31.43	70.86	30.80	495.09	628.18
निपटान	—	—	—	1.95	1.95
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	67.44	94.25	39.78	1,049.10	1,250.57
अतिरिक्त	0.24	26.67	5.23	383.68	415.83
निपटान	—	0.27	—	2.79	3.06
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	67.68	120.66	45.02	1,429.98	1,663.34
संचित मूल्यहास					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
अतिरिक्त	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	9.78	1.19	1.53	57.35	69.85
अतिरिक्त	3.83	3.22	2.51	51.84	61.40
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	13.62	4.41	4.04	109.19	131.25
अतिरिक्त	0.00	0.25	0.17	13.94	14.36
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	13.62	4.66	4.21	123.13	145.61
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	53.82	89.84	35.74	939.91	1,119.32
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	0.24	26.43	5.06	369.74	401.47

5. अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:

वहन राशि :
सॉफ्टवेयर
कुल

31 मार्च 2026 तक

रुपये लाखों में
31 मार्च 2025 तक

2.01 0.35
2.01 0.35

अमूर्त संपत्तियों के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के
संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:
विवरण

31 मार्च 2026 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
रुपये लाखों में

31 मार्च 2025 तक
कुल
रुपये लाखों में

सकल लागत
प्रारंभिक जमा

परिवर्धन
निपटान
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि
परिवर्धन
निपटान
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि
परिवर्धन
निपटान
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि
परिवर्धन
निपटान
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि
परिवर्धन
निपटान
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि

—
—
4.41 4.41
—
11.74 11.74
—
16.15 16.15
17.00 17.00
—
33.15 33.15
0.36 0.36
—
33.51 33.51
9.35 9.35
—
42.86 42.86

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

अमूर्त संपत्तियों के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:
विवरण

	31 मार्च 2026 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रुपये लाखों में	31 मार्च 2025 तक कुल रुपये लाखों में
संचित मूल्यहास		
प्रारंभिक जमा	—	—
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
निपटान	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.24	0.24
मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
निपटान	—	—
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	11.41	11.41
मूल्यहास व्यय	18.71	18.71
निपटान	—	—
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	30.13	30.13
मूल्यहास व्यय	3.04	3.04
निपटान	—	—
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	33.17	33.17
मूल्यहास व्यय	7.69	7.69
निपटान	—	—
31 मार्च, 2026 को शेष राशि	40.85	40.85
वहन राशि		
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—
परिवर्धन	4.41	4.41
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
परिवर्धन	11.74	11.74
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
परिवर्धन	17.00	17.00
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	18.71	18.71
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3.03	3.03
परिवर्धन	0.36	0.36
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	3.04	3.04
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	0.35	0.35
परिवर्धन	9.35	9.35
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	7.69	7.69
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	2.01	2.01
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3.03	3.03
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	0.35	0.35
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	2.01	2.01

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

पूँजी अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

सकल लागत आरंभिक शेष विवरण	31 मार्च 2025 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रुपये लाखों में	31 मार्च 2024 तक कुल रुपये लाखों में
संचित मूल्यहास		
प्रारंभिक जमा	—	—
मूल्यहास व्यय	0.41	0.41
निपटान	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.41	0.41
मूल्यहास व्यय	11.74	11.74
निपटान	—	—
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	16.15	16.15
मूल्यहास व्यय	17.00	17.00
निपटान	—	—
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	33.15	33.15
मूल्यहास व्यय	—	—
निपटान	—	—
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	33.15	33.15
मूल्यहास व्यय	—	—
निपटान	—	—
31 मार्च, 2026 को शेष राशि	33.15	33.15
संचित मूल्यहास आरंभिक शेष		
अतिरिक्त	0.24	0.24
निपटान	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.24	0.24
अतिरिक्त	11.18	11.18
निपटान	—	—
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	11.41	11.41
अतिरिक्त	13.97	13.97
निपटान	—	—
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	25.39	25.39
अतिरिक्त	—	—
निपटान	—	—
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	25.39	25.39
अतिरिक्त	—	—
निपटान	—	—
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	25.39	25.39
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	7.77	7.77
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	7.77	7.77
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	7.77	7.77

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

6 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	31 मार्च 2026 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2025 तक
ओपनिंग बैलेंस	—	—
वर्ष के दौरान परिवर्धन	13.62	9.26
कम: वर्ष के दौरान पूंजीकरण	117.64	267.45
समापन शेष	7.08	263.09
	124.18	13.62

टिप्पणियाँ:

(i) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, उम्र बढ़ने का कार्यक्रम

31 मार्च 2026 तक CWIP में राशि	रुपये लाखों में CWIP अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएँ	117.64	6.54	—	—	124.18
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—
	117.64	6.54	—	—	124.18

31 मार्च 2025 तक CWIP में राशि	रुपये लाखों में CWIP अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएँ	11.26	2.36	—	—	13.62
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—
	11.26	2.36	—	—	13.62

(ii) उपरोक्त परिसंपत्तियाँ पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई हैं।

रुपये लाखों में	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
प्रारंभिक शेष	7.08	2.36
वर्ष के दौरान परिवर्धन	—	4.72
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	7.08	—
समापन शेष	0.00	7.08

(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

काशी मिल्क प्रोजेक्सर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

विवरण	1 अप्रैल 2025 तक	अतिरिक्त	सकल ब्लॉक निपटान	31 मार्च 2025 तक	संचित मूल्यहास निपटान पर हटा दिया	मूल्यहास शुल्क गया	शुद्ध ब्लॉक 31 मार्च 2026 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2026 तक
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण								
कंप्यूटर एवं लेपटॉप	23.09	7.00	—	30.10	14.34	—	14.34	15.76
फर्नीचर और फिक्स्चर	104.39	2.38	0.14	106.53	12.25	—	12.25	94.27
कार्यालय उपकरण	30.47	0.39	—	30.86	8.19	—	8.19	22.67
संयंत्र और उपकरण	990.93	32.60	2.82	1,020.71	290.67	—	290.67	730.03
कुल	1,148.88	42.27	2.96	1,188.19	325.45	—	325.45	862.74
(ii) अमूर्त संपत्ति								
सॉफ्टवेयर	0.35	9.35	—	9.70	7.69	—	7.69	2.01
कुल	0.35	9.35	—	9.70	7.69	—	7.69	2.01
(iii) पूंजीगत कार्य								
प्रगति पर	13.62	117.64	7.08	124.18	—	—	—	124.18
कुल	13.62	117.64	7.08	124.18	—	—	—	124.18

टिप्पणियाँ: (i) अनुदान से खरीदी/उपयोग की गई संपत्तियों की सूची

विवरण	1 अप्रैल 2025 तक	अतिरिक्त	सकल ब्लॉक निपटान	31 मार्च 2026 तक	संचित मूल्यहास निपटान पर हटा दिया	मूल्यहास शुल्क गया	शुद्ध ब्लॉक 31 मार्च 2026 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2026 तक
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण								
कंप्यूटर एवं लेपटॉप	—	—	—	—	—	—	—	—
फर्नीचर और फिक्स्चर	—	—	0.14	(0.14)	—	—	—	(0.14)
कार्यालय उपकरण	—	—	—	—	—	—	—	—
सौध और उपकरण	—	—	2.82	(2.82)	—	—	—	(2.82)
संयंत्र और मशीनरी	—	—	—	—	—	—	—	—
# रेफ!	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	—	—	2.96	(2.96)	—	—	—	(2.96)
(ii) अमूर्त संपत्ति								
सॉफ्टवेयर	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—	—	—	—	—
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर								
कुल	—	—	—	—	—	—	—	—

टिप्पणियाँ: (ग) मूल षष्ठ	अवधि के लिए षष्ठ में राशि			रुपये लाखों में	
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	117.64	6.54			
(घण) अमूर्त षष्ठ	अवधि के लिए षष्ठ में राशि			रुपये लाखों में	
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
टिप्पणियाँ: (णण) मूल्यहास और परिशोधन (र) मूल संपत्ति (बी) अमूर्त संपत्ति	रुपये लाखों में				
	अवधि समाप्त			वर्ष समाप्त	
	31, मार्च 2026			31, मार्च 2025	
	325.45			263.34	
	7.69			3.04	
घटाएँ: अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास	333.13			266.38	
	(320.91)			(263.30)	
	12.23			3.09	

नोट 8: आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	1,038.96	837.51
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से सीमानांतरित	367.24	227.05
घटाएँ: लाभांश देय	41.17	25.60
समापन शेष	1,365.03	1,038.96
(बी) लाभ और हानि खाते के विवरण में अधिशेष		
अंतिम बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार शेष		
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	367.24	227.05
घटाएँ: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	(367.24)	(227.05)
समापन शेष	—	—

नोट 9: आस्थगित अनुदान

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) प्रारंभिक शेष	1,146.36	996.89
(बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट संख्या 34 देखें)	—	412.77
(सी) घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान की गई संपत्ति	—	—
(डी) घटाएँ: अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यहास (नोट संख्या 7 देखें)	(320.91)	(263.30)
(ई) जोड़ें: परिसंपत्तियों के निपटान पर मूल्यहास	—	—
(एफ) घटाएँ: अनंतिम रिफंड की मंजूरी का प्रावधान	(13.25)	—
समापन शेष	812.20	1,146.36

नोट 10: दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
ग्रेच्युटी का प्रावधान	13.33	9.06
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	26.72	8.33
बीमारी की छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान	8.64	2.59
कुल	48.70	19.98

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 11: ड्रेड देय

विवरण	31 मार्च	रुपये लाखों में
	2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया (नीचे नोट i देखें)	77.10	35.29
(बी) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,535.43	994.81
कुल	1,612.53	1,030.09

विवरण	31 मार्च	रुपये लाखों में
	2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(i) किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि	77.10	35.29
(ii) उस पर देय ब्याज	—	—
(बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज और नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	—	—
(सी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज के अलावा भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज	—	—
(डी) अर्जित ब्याज और शेष अवैतनिक	—	—
(ई) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए अगले वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज।	—	—

ii) व्यापार देय उम्र निर्धारण अनुसूची

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	रुपये लाखों में कुल
31 मार्च 2026 तक					
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	77.10	—	—	—	77.10
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,535.43	—	—	—	1,535.43
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
कुल	1,612.53	—	—	—	1,612.53

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	रुपये लाखों में कुल
31 मार्च 2025 तक					
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	35.29	—	—	—	35.29
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	994.81	—	—	—	994.81
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
कुल	1,030.09	—	—	—	1,030.09

नोट: उपरोक्त उम्र की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 12: अन्य वर्तमान देनदारियां	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) कर्मचारियों को देय	11.47	6.23
(बी) शेयर सरेंडर	—	1.87
(सी) अन्य देय	25.19	110.53
(डी) स्रोत पर देय आयकर कटौती	9.94	10.14
(ई) भविष्य निधि देय	6.56	2.09
(एफ) देय जीएसटी (आईटीसी का शुद्ध)	0.69	0.84
(जी) प्राप्त अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 34 देखें)	(20.69)	(20.69)
(एच) सुरक्षा जमा	300.43	285.15
(आई) देनदारों से अग्रिम	—	—
(जे) अचल संपत्तियों की खरीद के लिए देय	106.14	3.32
(के) लभांश देय	0.37	0.23
(एल) रोकी गई राशि	20.32	—
(एम) आयकर प्रावधान वित्तीय वर्ष 24—25	73.79	—
(एन) अनुदान यु पी एस आर एल एम रिफंड के लिए प्रावधान	94.34	—
कुल	628.57	399.69

****नोट:** कंपनी को पहले 'पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी वैल्यू चेन डेवलपमेंट' प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू पी एस आर एम) से ग्रांट फंड मिला था। यह ग्रांट, 10—07—2024 के 'ग्रांट नो—कोस्ट एक्सटेंशन लेटर नंबर: 1555/4171/वैल्यू चेन/लखनऊ/2024—25' के तहत दिया गया था। यू पी एस आर एम से मिली हालिया जानकारी के आधार पर, 94.34 लाख रुपये के ग्रांट फंड की वापसी की मांग हो सकती है। नतीजतन, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है।

नोट 13: अल्पावधि प्रावधान	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) आयकर के लिए प्रावधान' (शुद्ध)	144.97	73.79
(बी) ग्रेज्युटी का प्रावधान	—	—
(सी) प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए प्रावधान	7.49	5.33
(डी) बोनस का प्रावधान	13.43	12.26
(ई) अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	—	1.57
(एफ) बीमारी की छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान	—	0.19
कुल	165.88	93.15

नोट 14: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
अंतिम बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शेष/(देयता)	10.67	6.74
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन		
— अचल संपत्तियों के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	(0.45)	(0.14)
— बोनस, ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान पर	9.24	4.07
— भविष्य के वर्षों में परिशोधन के लिए उपलब्ध सीमा तक प्रारंभिक व्यय पर	—	—
कुल	20.36	10.67

नोट 15: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) सुरक्षा अग्रिम कार्यालय	0.90	0.90
(बी) सुरक्षा अग्रिम बिजली	0.36	0.36
कुल	1.26	1.26

नोट 16: स्ऑक	रुपये लाखों में	
(कम लागत और शुद्ध पुनः प्राप्त मूल्य पर)		
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) व्यापार में स्टॉक कच्चा दूध	234.51	155.68
(बी) मवेशी चारा, खनिज, वेटफेन	73.15	21.37
(सी) रसायन, उपभोग्य वस्तुएं और टैग	5.68	—
	313.34	177.05

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 17: व्यापार प्राप्य		रुपये लाखों में				
विवरण		31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक			
ए.	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	—	—			
बी.	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1,273.45	930.20			
I.	संदिग्ध					
	—बिल किया गया	—	—			
	—अनबिल्ट	—	—			
सी.	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—			
	कुल	1,273.45	930.20			
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						
ए.	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	—	—			
बी.	असुरक्षित माना जाता है अच्छा	—	—			
सी.	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—			
	कुल	1,273.45	930.20			
व्यापार प्राप्य उम्र बढ़ने का शेड्यूल		रुपये लाखों में				
31 मार्च 2026 तक						
विवरण	6 महीने	6 महीने से कम	1—2 वर्ष —1 वर्ष	2—3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	1,273.45	—	—	—	—	1,273.45
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना गया	—	—	—	—	—	—
	1,273.45	—	—	—	—	1,273.45
31 मार्च 2025 तक						
विवरण	6 महीने	6 महीने से कम	1—2 वर्ष —1 वर्ष	2—3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	930.20	—	—	—	—	930.20
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना गया	—	—	—	—	—	—
	930.20	—	—	—	—	930.20

नोट: उपरोक्त उम्र की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 18: नकद और नकद समकक्ष विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) नकद और नकद समकक्ष		
(i) हाथ में नकदी	—	—
(ii) बैंकों के साथ संतुलन		
ए) चालू खातों में	97.81	71.90
बी) शेड्यूल बैंक में जमा (3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)	2,398.95	1,814.48
सी) शेड्यूल बैंक में जमा (6 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)	—	—
एएस 3 के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य — नकदी प्रवाह विवरण	2,496.76	1,886.38
(बी) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में	—	—
(ii) सुरक्षा के रूप में रखा गया शेष	—	—
(iii) निर्धारित खातों में	—	—
	2,496.76	1,886.38
नोट 19: अल्पावधि ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) विक्रेताओं को अग्रिम	—	—
(बी) प्रीपेड व्यय	3.99	2.04
कुल	3.99	2.04
नोट 20: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) बैंक जमा पर अर्जित लेकिन देय नहीं	4.72	—
(बी) टीडीएस और अग्रिम कर प्राप्य	226.04	84.76
(सी) सुरक्षा जमा	0.25	—
(डी) गलत भुगतान की वसूली योग्य राशि	0.49	—
कुल	231.50	84.76

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 21: संचालन से राजस्व विवरण		रुपये लाखों में	
		31 मार्च	31 मार्च
		2026 तक	2025 तक
व्यापारिक माल			
(ए) कच्चा दूध		27,230.91	18,736.68
(बी) पशु चारा		1,358.29	782.88
(सी) खनिज मिश्रण		32.49	25.04
(डी) माखन घास		—	—
(ई) वेटफेन		1.17	1.79
(फ) बरसीम		11.25	5.13
(जी) जंबो सुपर		1.81	2.85
(ज) मेगा स्वीट		1.38	0.98
(आई) पोषक आहार		0.39	0.29
(जे) जई बीज		1.64	0.74
(के) टीएससी		0.01	0.09
(एल) एस एस दूध का कैन		1.76	3.79
(एम) 4पी 100ग्राम बिक्री		0.04	—
(एन) पशु उपचार शुल्क		1.83	—
(ओ) बोवोप्लेक्स ओरल 100 मिली बिक्री		0.05	—
(पी) एंटेरोहर्बस बिक्री		0.21	—
(क्यू) फेबोर्नार्मिस बिक्री		0.24	—
(आर) गर्भामिन-4 एस बिक्री		0.04	—
(एस) गौधारा शक्ति बिक्री		0.04	—
(टी) गौसैक पावर 100 मि ली बिक्री		0.03	—
(यू) हर्बो लैक्ट बिक्री		0.30	—
(वी) हर्बो टिक बिक्री		0.10	—
(डब्ल्यू) कीड़ो बिक्री		0.15	—
(एक्स) कोरल पोषक बिक्री		0.53	—
(वाई) क्षीर सागर (1 लीटर) बिक्री		0.04	—
(जेड) क्षीर सागर (5 लीटर) बिक्री		1.26	—
(ए ए) मिल्क कैन डक्कन बिक्री		4.21	—
(ए बी) नेचुरो गर्भ बिक्री		0.39	—
(ए सी) टिकविकल राज-50 मि ली बिक्री		0.02	—
(ए डी) ट्राई सोडियम साइट्रेट (250 ग्राम) बिक्री		0.08	—
(ए ई) ट्राइसोमिक्स-50ग्राम बिक्री		0.10	—
कुल		28,650.77	19,560.26

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 22: अन्य आय विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) सदस्यों से प्रवेश शुल्क	5.30	3.82
(बी) अनुदान से आय	—	273.81
(सी) निविदा शुल्क	—	—
(डी) सावधि जमा पर ब्याज	144.08	66.94
(ई) एमसीसी से वसूली	0.63	—
(एफ) अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	8.40	4.05
(आई) अन्य कमाई	0.30	7.88
कुल	158.71	356.51

नोट 23: व्यापार में स्टॉक की खरीद विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(ए) कच्चा दूध	23,045.60	15,901.10
(बी) पशु आहार	1,252.44	648.09
(सी) खनिज मिश्रण	20.40	18.64
(डी) माखन घास	—	—
(ई) वेटफेन	1.17	—
(फ) बरसीम	10.66	4.88
(जी) जंबो सुपर	1.28	1.93
(एच) पोषक आहार	0.22	0.49
(आई) जई बीज	1.54	0.69
(जे) मेगा स्वीट	—	1.68
(के) टीएससी	0.25	—
(एल) एस एस दूध का कैन	—	6.02
(एम) पी ई एस दवाई	1.69	0.85
(एन) मिल्क कैन ढक्कन बिक्री	6.70	—
(ओ) 4पी 100ग्राम बिक्री	0.04	—
(पी) एंटेरोहर्वस बिक्री	0.28	—
(क्यू) बोवोप्लेक्स ओरल 100 मिली बिक्री	0.17	—
(आर) गर्माइन-4 एस बिक्री	0.21	—
(एस) गौधारा शक्ति बिक्री	0.11	—
(टी) कोरल पोषक बिक्री	0.60	—
(यू) क्षीर सागर (1 लीटर) बिक्री	0.31	—
(वी) क्षीर सागर (5 लीटर) बिक्री	2.71	—
(डब्ल्यू) टिकिकल राज-50 मि ली बिक्री	0.04	—
(एक्स) ट्राइसोमिक्स-50ग्राम बिक्री	0.15	—
कुल	24,346.56	16,584.36

नोट 24: खरीद व्यय		रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	
रसायन और उपभोग्य सामग्रियों की खपत (नीचे नोट देखें)	24.20	17.78	
डीजल खर्च	38.40	20.30	
बीएमसी श्रम शुल्क	14.53	5.28	
कूलिंग शुल्क	270.41	218.96	
माल आवक	664.48	530.70	
दूध प्रोत्साहन— सहायक	489.60	343.50	
मूल्य प्रोत्साहन	33.60	—	
कुल	1,535.22	1,136.53	

नोट : रसायन और उपभोग्य सामग्रियों की खपत		रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	
ओपनिंग स्टॉक	—	3.61	
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीद	29.89	14.17	
कम समापन स्टॉक	5.68	—	
रसायन एवं उपभोग्य की कुल खपत	24.20	17.78	

नोट 25: स्टॉक—इन—ट्रेड रुपये की सूची में परिवर्तन		रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	
कच्चे दूध के व्यापार में स्टॉक की सूची में कमी/(वृद्धि)।			
(ए) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	177.05	167.70	
(बी) वर्ष के अंत में सूची	307.66	177.05	
इन्वेंट्री में शुद्ध (वृद्धि)/कमी	(130.61)	(9.35)	

नोट 26: कर्मचारी लाभ व्यय		रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	
(ए) वेतन और मजदूरी	311.01	240.11	
(बी) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	20.26	13.30	
(सी) ग्रेज्युटी और मुआवजा अनुपस्थिति	29.94	17.62	
(डी) कर्मचारी कल्याण व्यय	21.86	5.63	
कुल	383.07	276.66	

नोट 27: पूर्ववर्ती अवधि का राजस्व अनुदान		रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	
पूर्ववर्ती अवधि का राजस्व अनुदान	81.09	—	
कुल	81.09	—	

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 28: अन्य व्यय
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च	31 मार्च
	2026 तक	2025 तक
माल ढुलाई, गाड़ी और अग्रेषण व्यय	1,512.09	1,201.91
बिजली और ईंधन	5.12	5.18
कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य पीईएस व्यय	24.01	37.03
किराया	23.94	19.95
दरें और कर	5.99	9.81
बीमा व्यय	0.88	0.70
रिटैनेरशिप संविदात्मक व्यय	178.06	141.51
मरम्मत एवं रखरखाव — अन्य	8.88	13.75
मरम्मत और रखरखाव — कंप्यूटर	5.03	2.15
सहायकों को प्रोत्साहन एवं कमीशन	43.96	26.72
जीएसटी एवं टीडीएस एवं आयकर पर व्याज	11.81	2.84
लॉडिंग और अनलोडिंग शुल्क	10.76	4.73
यात्रा एवं वाहन	80.61	58.45
प्रशिक्षण व्यय	4.05	2.51
परीक्षण शुल्क	3.08	2.61
संचार एवं नेटवर्किंग व्यय	36.22	31.14
मुद्रण एवं स्टेशनरी	24.24	14.24
व्यावसायिक शुल्क	73.49	60.89
बैठक व्यय	17.98	11.88
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नीचे नोट (2) देखें)	—	7.48
विविध व्यय	0.36	6.89
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (1) देखें)	2.04	1.86
हाउसकीपिंग एवं सुरक्षा व्यय	6.85	6.56
कुल	2,079.42	1,670.80

नोट 1: लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च	31 मार्च
	2026 तक	2025 तक
(ए) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.40	1.27
(बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.33	0.30
(सी) ऊपर पर जीएसटी	0.31	0.28
कुल	2.04	1.86

नोट 2: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

विवरण	लाखों रुपये में	
	31 मार्च,	31 मार्च,
	2026 तक	2025 तक
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	—	7.48
निम्नलिखित पर व्यय की गई राशि:	—	—
सरकारी स्कूलों बच्चों को उपहार दूध वितरण	—	7.48
वर्ष के अंत में कमी	—	—
पिछले वर्षों की कुल कमी	—	—
कमी का कारण	—	—
सीएसआर गतिविधि की प्रकृति:		
वाराणसी जिले के लगभग 600 सरकारी स्कूलों में फ्लेवर्ड दूध (मिफ्ट मिल्क) वितरण		

प्रावधान में बदलाव का विवरण

विवरण	लाखों रुपये में	
	31 मार्च,	31 मार्च,
	2025 तक	2024 तक
आरंभिक अप्रयुक्त प्रावधान	—	—
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	—	7.48
वास्तविक व्यय के विरुद्ध भुगतान की गई राशि	—	7.48
अंतिम अप्रयुक्त प्रावधान		

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 29: आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान न किया गया हो)

विवरण	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
आकस्मिक देयताएँ		
1. आयकर मामले:	52.25	शून्य
नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, आयकर विभाग की असेसमेंट यूनिट ("असेसिंग ऑफिसर") ने असेसमेंट ईयर (ए वाई) 2024-25 के लिए स्कूटनी असेसमेंट पूरा किया। यह आदेश 16 फरवरी, 2026 को आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 144बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(3) के तहत पारित किया गया था। असेसिंग ऑफिसर ने 1,43,41,194 रुपये की राशि को अस्वीकार कर दिया, जो कुल फ्रेट (माल ढुलाई) खर्च का 30% है। 4,78,03,981। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के खिलाफ एक्ट की धारा 156 के तहत 52,24,670 रुपये की मांग की गई। कंपनी ने असेसिंग ऑफिसर द्वारा किए गए एडिशन को स्वीकार नहीं किया है। इसने कमिशनर ऑफ इनकम-टैक्स (अपील्स) के समक्ष एक ऑनलाइन अपील दायर की है, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तारीख तक लंबित है। कानूनी सलाह और मामले की खूबियों के आधार पर, मैनेजमेंट का मानना है कि इस कार्यवाही के अंतिम परिणाम का कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, इस चरण में किसी प्रोविजन की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।		
प्रतिबद्धताएँ	52.25	—
पूँजीगत खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम भुगतान शून्य रुपये; पिछले वर्ष शून्य रुपये)	148.75	0.64
	148.75	0.64

नोट 30: प्रस्तावित लाभांश

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के संबंध में, 20 अगस्त 2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशकों ने पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर 55,73,000 लाख रुपये (@8/- रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में देनदारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित 33,178 इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के सभी 696,685 धारकों को देय है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, 31 मार्च, 2025 तक पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के सभी 29,576 धारकों के लिए 5,14,597 लाख रुपये (@ 8/- प्रति शेयर) का कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 31: मुकदमे		रुपये लाखों में	
विवरण		31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
किसी भी ग्राहक, सेवा प्रदाता, लेनदारों, कर्मचारियों, के साथ लंबित मुकदमे या विवाद सरकारी प्राधिकारी और अन्य हितधारक वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव		रुपये शून्य शून्य	रुपये शून्य शून्य
		—	—
नोट 32: कंपनी दूध के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक (एएस) — 17 के तहत आवश्यक खुलासे लागू नहीं होते हैं।			
नोट 33: पट्टे की व्यवस्था			
कंपनी ने परिचालन पट्टे पर परिसर लिया है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टा किराये को लेखांकन मानक 19 (एएस 19) “पट्टे” के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।			
कंपनी ने कार्यालय परिसर, बीएमसी और स्टोर के लिए चार परिचालन पट्टा व्यवस्थाएं की हैं। लीज किराये का खर्च रु. परिचालन पट्टे के तहत दायित्व के संबंध में 23,93,764 /— रुपये को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।			
भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान हैं:		रुपये लाखों में	
विवरण		31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
1 वर्ष के बाद देय नहीं		रुपये 20.65	रुपये 18.26
1 वर्ष से बाद में देय लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं		10.28	25.40
		30.93	43.66
नोट 34: प्रति इक्विटी शेयर आय			
		रुपये लाखों में	
विवरण		31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
कर पश्चात शुद्ध लाभ	इकाई	रु. 367.24	रु. 277.05
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	संख्या	18.80	18.80
प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य		100.00	100.00
प्रति शेयर मूल आय		19.54	12.08
इक्विटी शेयरों का उपयोग प्रति शेयर		18.80	18.80
पतला आय की गणना करने के लिए किया जाता है प्रति शेयर पतला आय		19.54	12.08
नोट 35: “कर्मचारी लाभ” पर संशोधित लेखा मानक 15 (एएस-15) के अनुसार प्रकटीकरण			
ए. परिभाषित योगदान योजना			
कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है, जो सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित योगदान का भुगतान करते हैं। योगदान आम तौर पर कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित होता है।			
		31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
भविष्य निधि योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है		रुपये 20.26	रुपये 13.30
बी. परिभाषित लाभ योजना			
कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारियों के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना के मामले में कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित धनराशि में योगदान करती है। प्रतिबद्धताएं वास्तविक रूप से वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती हैं। बीमांकिक मूल्यांकन “प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीसीयू) बीमांकिक पद्धति” के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक धारणाओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।			
ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति।			

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
I. प्लान की फंडेड स्थिति अनफंडेड		
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	13.33	9.23
फंडेड दायित्वों का वर्तमान मूल्य	—	—
प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	—	—
नेट लायबिलिटी (एसेट)	13.33	9.23
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
ii. अवधि के लिए लाभ और हानि खाता		
वर्तमान सेवा लागत	5.65	4.58
दायित्वों पर ब्याज	0.63	0.11
नियोजित एसेट्स पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
नेट एक्जुअरियल नुकसान/(लाभ)	(0.95)	4.24
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (वेस्टेड)	—	—
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (अनवेस्टेड)	—	—
कटौती और निपटान पर नुकसान/(लाभ)	—	—
कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल कुल राशि	5.33	8.93
दायित्वों पर नुकसान/(लाभ)	(0.95)	4.24
एसेट्स पर नुकसान/(लाभ)	—	—
	(0.95)	4.24
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
iii. परिभाषित लाभ दायित्व का मिलान		
शुरुआती परिभाषित लाभ दायित्व	9.23	2.62
दायित्व का ट्रांसफर इन/(आउट)	—	—
वर्तमान सेवा लागत	5.65	4.58
ब्याज लागत	0.63	0.11
एक्जुअरियल नुकसान/(लाभ)	(0.95)	4.24
पिछली सेवा लागत	—	—
कटौती पर नुकसान/(लाभ)	—	—
निपटान पर समाप्त दायित्व	—	—
खरीद की प्रकृति में विलय में लिए गए दायित्व	—	—
विदेशी प्लान पर एक्सचेंज अंतर	—	—
फंड से भुगतान किया गया लाभ	—	—
कंपनी द्वारा भुगतान किया गया लाभ	(1.22)	(2.32)
समापन परिभाषित लाभ दायित्व	13.33	9.23
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
iv. प्लान एसेट्स का मिलान		
प्लान एसेट्स का शुरुआती मूल्य	—	—
प्लान एसेट्स का ट्रांसफर (अंदर/बाहर)	—	—
अनुमानित रिटर्न	—	—
एक्जुअरियल गेन/(लॉस)	—	—
सेटलमेंट पर बांटी गई एसेट्स	—	—
एम्प्लॉयर का योगदान	—	—
एम्प्लॉई का योगदान	—	—
खरीद के तौर पर हुए विलय में हासिल की गई एसेट्स	—	—
विदेशी प्लान में एक्सचेंज का अंतर	—	—
दिए गए लाभ	—	—
प्लान एसेट्स का अंतिम मूल्य	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
v. प्लान एसेट्स का कंपोजिशन		
भारत सरकार की सिक्योरिटीज	0%	0%
राज्य सरकार की सिक्योरिटीज	0%	0%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	0%	0%
लिस्टेड कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%	0%
प्रॉपर्टी	0%	0%
स्पेशल डिपॉजिट स्कीम	0%	0%
इंश्योरेंस पॉलिसी	0%	0%
बैंक बैलेंस	0%	0%
अन्य निवेश	0%	0%
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
vi. नेट डिफाईंड बेनिफिट लायबिलिटी का मिलान		
अकाउंट्स की किताबों में नेट ओपनिंग प्रोविजन	9.23	2.62
दायित्व का ट्रांसफर इन/(आउट)	—	—
प्लान एसेट्स का ट्रांसफर इन/(आउट)	—	—
कर्मचारी लाभ खर्च	5.33	8.93
	14.56	11.54
कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	—1.22	—2.32
प्लान एसेट्स में योगदान	—	—
अकाउंट्स की किताबों में क्लोजिंग प्रोविजन	13.33	9.23
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
vii. मुख्य एक्युअरियल अनुमान		
डिस्काउंट रेट	7.40% सालाना	6.88% सालाना
प्लान एसेट्स पर अपेक्षित दर	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि दर	5.77% सालाना	5.77% सालाना
आयु 35 और उससे कम: 7.14% सालाना	आयु 35 और उससे कम: 7.4% सालाना	
35 से 40: 7.14% सालाना	35 से 40: 7.14% सालाना	
40 से 45: 4.76% सालाना	40 से 45: 4.76% सालाना	
45 से 50: 2.38% सालाना	45 से 50: 2.38% सालाना	
50 और उससे अधिक: 1.19% सालाना	50 और उससे अधिक: 1.19% सालाना	
	31 मार्च 2026 तक रुपये	31 मार्च 2025 तक रुपये
viii. अनुभव समायोजन की तालिका		
निर्धारित लाभ दायित्व	13.33	9.23
योजना की संपत्ति	—	—
अधिशेष/(घाटा)	(13.33)	(9.23)
योजना लाभों पर अनुभव समायोजन	1.50	(0.05)
वित्तीय मान्यताओं के कारण एक्युअरियल नुकसान/(लाभ)	(2.45)	4.51
जनसांख्यिकीय मान्यताओं के कारण एक्युअरियल नुकसान/(लाभ)	—	(0.22)
योजना लाभों पर अनुभव समायोजन	—	—
वर्ष के लिए शुद्ध एक्युअरियल नुकसान/(लाभ)	(0.95)	4.24

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 36: संबंधित पार्टी से जुड़ी जानकारी :
संबंधित पार्टियों की सूची

मुख्य संबंधीय कर्मी

अंजना सिंह (डायरेक्टर)
मंशा कुमारी (डायरेक्टर)
ममता सिंह (डायरेक्टर)
प्रतिमा देवी (डायरेक्टर)
संगीता देवी (डायरेक्टर)
श्यामलता सिंह (डायरेक्टर)
श्रीमती ममता देवी (डायरेक्टर)
गीता वर्मा (डायरेक्टर)
श्रीमती सरिता (डायरेक्टर)
मंजू देवी (डायरेक्टर)
पूनम देवी (डायरेक्टर)
रीना देवी (डायरेक्टर)
आकांक्षा सिंह (डायरेक्टर)
चुन्नी देवी (डायरेक्टर)
कविता कुशवाहा (डायरेक्टर)

डॉ. मुकेश बेरीवाल (चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर)
डॉ. मनवीर सिंह (चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर)

प्रियंका सत्यवली (कंपनी सेक्रेटरी)

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन और बैलेंस संबंधित
पार्टियों के साथ लेन-देन

क्रम संख्या	विवरण (केएमपी)	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डायरेक्टर की सिटिंग फीस		
	अंजना सिंह (टीडीएस घटाकर)	0.400	0.263
	मंशा कुमारी (टीडीएस घटाकर)	0.350	0.213
	ममता सिंह (टीडीएस घटाकर)	0.000	0.045
	प्रतिमा देवी (टीडीएस घटाकर)	0.100	0.213
	संगीता देवी (टीडीएस घटाकर)	0.350	0.204
	श्यामलता सिंह (टीडीएस घटाकर)	0.100	0.204
	श्रीमती ममता देवी (टीडीएस घटाकर)	0.350	0.145
	गीता वर्मा (टीडीएस घटाकर)	0.350	0.159
	श्रीमती सरिता (टीडीएस घटाकर)	0.089	0.2338
	मंजू देवी (टीडीएस घटाकर)	0.350	0.168
	पूनम देवी (टीडीएस घटाकर)	0.350	0.159
	रीना देवी (टीडीएस घटाकर)	0.350	0.159
	आकांक्षा सिंह (टीडीएस घटाकर)	0.300	0
	चुन्नी देवी (टीडीएस घटाकर)	0.250	0
	कविता कुशवाहा (टीडीएस घटाकर)	0.250	0
2	निदेशकों की प्रतिपूर्ति		
	अंजना सिंह	0.04	0.08
	मंशा कुमारी	0.05	0.08
	ममता सिंह	0	0.04
	प्रतिमा देवी	0.02	0.08
	संगीता देवी	0.06	0.07
	श्यामलता सिंह	0.02	0.07
	श्रीमती. ममता देवी	0.06	0.05
	गीता वर्मा	0.06	0.03
	श्रीमती सरिता	0.02	0.09
	मंजू देवी	0.06	0.04
	पूनम देवी	0.06	0.03
	रीना देवी	0.06	0.03
	आकांक्षा सिंह	0.04	0
	चुन्नी देवी	0.04	0
	कविता कुशवाहा	0.03	0
3	दूध खरीद का भुगतान		
	अंजना सिंह	0.680	0.528
	मंशा कुमारी	0.559	0.388
	ममता सिंह	0.801	1.448
	प्रतिमा देवी	0.864	1.510
	संगीता देवी	1.030	1.140
	श्यामलता सिंह	0.508	0.323
	श्रीमती. ममता देवी	3.894	4.090
	गीता वर्मा	1.308	0.570
	श्रीमती सरिता	0.200	0.085
	मंजू देवी	2.505	1.360
	पूनम देवी	0.867	0.755
	रीना देवी	1.884	1.755
	आकांक्षा सिंह	10.760	0
	चुन्नी देवी	0.449	0
	कविता कुशवाहा	1.497	0
4	दिया गया पारिश्रमिक :		
	प्रियंका सत्यवली (कंपनी सेक्रेटरी)	9.24	7.75
	डॉ. मनवीर सिंह (चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर)	0.00	12.98

साल के आखिर में बकाया

क्रम संख्या	विवरण (केएमपी)	बैलेंस दूध की खरीद के लिए		देय सिटिंग फीस देय	
		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	देय राशि				
	अंजना सिंह	0.01	0.00	0.00	0.05
	मंशा कुमारी	0.01	0.01	0.00	0.00
	ममता सिंह	0.03	0.05	0.00	0.00
	प्रतिमा देवी	0.02	0.05	0.00	0.00
	संगीता देवी	0.00	0.00	0.00	0.00
	श्यामलता सिंह	0.01	0.00	0.00	0.00
	श्रीमती ममता देवी	0.16	0.14	0.00	0.00
	गीता वर्मा	0.01	0.02	0.00	0.00
	श्रीमती सरिता	0.01	0.00	0.00	0.04
	मंजू देवी	0.10	0.16	0.00	0.00
	पूनुम देवी	0.01	0.05	0.00	0.00
	रीना देवी	0.14	0.09	0.00	0.00
	आकांक्षा सिंह	0.00	0.50	0.00	0.00
	चुन्नी देवी	0.00	0.01	0.00	0.00
	कविता कुशवाहा	0.00	0.08	0.00	0.00

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 37: अनुदान का विवरण:		रुपये लाखों में		
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त अनुदान का विवरण और इसका उपयोग इस प्रकार है।				
ए. शेष आगे खरीदा गया		31 मार्च 2026 तक रुपये (20.69)		
बी. वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ		31 मार्च 2025 तक रुपये 3.40		
सी. अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज प्राप्त ब्याज		660.64		
उपाजित एवं देय ब्याज		1.64		
डी. वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		0.20		
— संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लिए (वसूली का शुद्ध)		400.42		
— पूंजीगत कार्य प्रगति पर		—		
— राजस्व व्यय के लिए		191.82		
कुल उपयोग		592.24		
ई. वापस कर दिया गया		—		
एफ. अप्रयुक्त अनुदान		(20.69) 73.45		
जी. घटाएँ: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए योग्य परिचालन व्यय अनुदान से उपयोग किए जाएंगे		— 81.99		
घटाएँ: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पात्र पूंजीगत व्यय का उपयोग अनुदान से किया जाएगा		— 12.35		
आगे बढ़ाया गया शेष (एफ—जी)		(20.69) (20.69)		
नोट 1: पूंजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को अन्य आय के तहत दिखाया गया है।				
नोट 38: क्षति हानि				
31 मार्च, 2026 तक लेखांकन मानक '28' के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर अचल संपत्तियों पर क हानि नहीं हुई थी।				
नोट 39: प्रबंधन की राय में लेनदारों के खातों में शेष राशि सत्य और सही है और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दर्शाई गई सीमा तक देय है।				
नोट 40: खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एएस—17 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से कच्चे दूध की बिक्री के एकल व्यवसाय खंड में काम करती है और एक भौगोलिक क्षेत्र में काम करती है।				
नोट 41: अतिरिक्त विनियामक जानकारी: अनुपात				
अनुपात	मीटर	भाजक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्तमान अनुपात (समय में)	कुल मौजूदा संपत्तियां कुल ऋण में उधार और पट्टा देनदारियां शामिल हैं	मौजूदा देनदारियां कुल इक्विटी	1.79	2.02
ऋण—इक्विटी अनुपात (समय में)	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर—नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य गैर—नकद समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	—	—
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (% में)	वर्ष के लिए लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई)	औसत कुल इक्विटी	20%	17%
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	115.45	112.88
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	26.00	17.56
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	18.43	17.72
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी (यानी कुल वर्तमान संपत्ति कुल चालू देनदारियाँ)	14.98	12.56
शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	इस साल का मुनाफा	संचालन से राजस्व	1.74	1.28
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (% में)	कर और वित्त लागत से पहले लाभ	नियुक्त पूंजी = कुल मूल्य + लीज देनदारिया + विलंबित कर दायित्व	24%	16%
निवेश पर रिटर्न (% में)	निवेशित फंड से उत्पन्न आय	ट्रेजरी निवेश में औसत निवेशित फंड	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 42: आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि साझा करें

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन वर्ष के दौरान कंपनी को 236,972 इक्विटी शेयरों के लिए 2,36,97,200 /— रुपये प्रति शेयर आवेदन धन प्राप्त हुआ है / 100 रुपये प्रत्येक। वर्ष के दौरान समान आवंटित किया गया है और 31 मार्च, 2026 तक शेयर आवेदन धन का लंबित आवंटन शून्य है।

नोट 43: अन्य प्रकटीकरण / मामले

(i) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

(ii) अधोषित आय

ऐसी कोई आय नहीं है जिसका खुलासा लेखा पुस्तकों में न किया गया हो। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अवधि के दौरान किसी भी अधोषित आय को सरंखर या आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

(iii) क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण:

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि	31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
रिपोर्टिंग तिथि पर रखी गई मुद्रा की राशि	31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
क्रिप्टो करेंसी/आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम	31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

(iv) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(v) इरादतन बूककर्ता

किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान ने होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों को “विलफुल डिफॉल्टर” घोषित नहीं किया है।

(vi) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि:

लागू नहीं

(vii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') को 29 सितंबर 2020 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो कुछ रोजगार लागू के लिए समूह के योगदान को प्रभावित कर सकता है। परिवर्तन लागू होने की प्रभावी तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है और नियम भी बनाए जाने बाकी हैं। परिवर्तन के प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन किया जाएगा और प्रासंगिक प्रावधानों की अधिसूचना की अवधि में हिसाब लगाया जाएगा।

(viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत उल्लिखित राशि के संबंध में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा करने के लिए कोई बकाया नहीं था।

(ix) निदेशक मंडल की राय में, 31 मार्च 2026 को बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली सभी मौजूदा संपत्ति और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, कंपनी के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, वसूली पर मूल्य कम से कम बराबर हैं उस राशि तक जिस पर वे वित्तीय विवरणों में बताए गए हैं। निदेशक मंडल की राय में, इन शेष राशि की वसूली के विरुद्ध कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(x) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।

(xi) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और देय अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

(xii) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना (कंपनी (खाता) संशोधन नियम, 2021) जारी की है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी जो अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, केवल लेखांकन सॉफ्टवेयर में प्रत्येक लेन-देन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, और इसके अलावा खाते की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एक संपादन लॉग बनाने की तारीख के साथ—साथ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं और यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है।

कंपनी ने दूध संग्रह में मात्रा और फैट/एसएनएफ की रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्ट एमपीएमएस और एमपीएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने

(xiii) बाद की घटनाएँ

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

नोट 44: संबंधित पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सीई
डीआईएन : 10697848

ह./—
आकांक्षा सिंह
निदेशक
डीआईएन : 11211650

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डीआईएन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवली
कंपनी सचिव
एम.नः ए45196

ह./—
अरुण कुमार मौर्या
उप प्रबंधक—वित्त एवं लेखा

स्थान : वाराणसी
दिनांक: 20.08.2026

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2021PTC155262

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, S-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,

पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

ई-मेल: info@kasheemilk.com | दूरभाष: 0542-4085526

सूचना

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की छठी वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को दोपहर 12:00 बजे "होटल वर्टेक्स (होटल सुरभि इंटरनेशनल की एक इकाई), पहाड़िया रोड, सुरभि होटल के पास, श्री नगर कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007 में आयोजित की जाएगी।

बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च 2026 तक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ प्राप्त करना और अपनाना तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अपनाना और इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना;

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, उनके साथ संलग्न अनुसूचियों एवं टिप्पणियों सहित तथा निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाता है।”

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिलाभ (लाभांश) पर विचार करना और घोसणा करना तथा इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव को पारित करना ;

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ;

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अर्जित लाभ में से कंपनी की 6,96,685 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों, जिनका अंकित मूल्य ₹100 प्रति शेयर है, पर ₹8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से सीमित प्रतिलाभ (लाभांश), जिसकी कुल राशि ₹55,73,480/- (रुपये पचपन लाख तिहत्तर हजार चार सौ अस्सी मात्र) है, को एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि की जाती है तथा उक्त लाभांश उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाए, जिनके नाम 31 मार्च 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।”

3. श्रीमति अंजाना सिंह, निदेशक की सेवानिवृत्ति के संबंध में;

श्रीमति अंजाना सिंह (DIN: 10190931), “कोई वर्ग नहीं” जो पदावधि के अनुसार सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, की सेवानिवृत्ति पर विचार करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, श्रीमति अंजाना सिंह (DIN: 10190931), निदेशक, जो इस वार्षिक आम बैठक में पदावधि के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, की निदेशक के पद से सेवानिवृत्ति को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है और वह इस 6ठी वार्षिक आम बैठक के समापन पर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होंगी।”

4. श्रीमती ममता देवी, वर्ग-B निदेशक, की सेवानिवृत्ति के संबंध में;

श्रीमती ममता देवी(DIN:10180142), “वर्ग-B निदेशक”, जो पदावधि के अनुसार सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, की सेवानिवृत्ति पर विचार करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, श्रीमती ममता देवी(DIN: 10180142), निदेशक, जो इस वार्षिक आम बैठक में पदावधि के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, की निदेशक के पद से सेवानिवृत्ति को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है और वह इस 6ठी वार्षिक आम बैठक के समापन पर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होंगी।”

5. श्रीमति सुनीता देवी को वर्ग-B निदेशक के रूप में नियुक्त करने के संबंध में;

श्रीमति सुनीता देवी (DIN: 11908170) को कंपनी के “वर्ग-B” निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, श्रीमति सुनीता देवी (DIN: 11908170) को कंपनी के निदेशक के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।

“यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित एवं समीचीन सभी ऐसे कार्य करने तथा आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

6. श्रीमति मंशा कुमारी, वर्ग-C निदेशक, के पुनर्नियुक्ति के संबंध में;

श्रीमति मंशा कुमारी (DIN: 10180237), वर्ग-C निदेशक, जो पद रिक्त करती हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और जिन्होंने पुनर्नियुक्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, की पुनर्नियुक्ति पर विचार करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, श्रीमति मंशा कुमारी(DIN: 10180237), कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक में अपना पद रिक्त करती हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और पुनर्नियुक्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान करती हैं, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।

7. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में;

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ;

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, मेसर्स मेसर्स रे एंड रे (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स), सनदी लेखाकार, पंजीकरण संख्या 301072E, को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप नियुक्त किया जाता है, जो इस छठी वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर कार्य करेंगे, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए।”

विशेष कार्य:

8. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में हुए विचलन की पुष्टि के संबंध में;

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पांचवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित बजट तथा उक्त वित्तीय वर्ष की वास्तविक/संशोधित वित्तीय एवं परिचालन स्थिति के बीच हुए विचलनों पर विचार करने एवं उनकी पुष्टि करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, पारित करने हेतु:

यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सदस्यों द्वारा पांचवीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित बजट और उस वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यावसायिक कार्यों, परिचालन की आवश्यकताओं तथा बदली हुई व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण बजट और वास्तविक/संशोधित वित्तीय एवं परिचालन स्थिति में हुए अंतर को, संलग्न बजट विचलन रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार, स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है।”

9. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बजट के अनुमोदन के संबंध में;

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, पारित करने हेतु:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

10. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के संबंध में;

निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करने एवं अनुमोदित करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR तथा समय-समय पर लागू अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, (जिसमें समय-समय पर किए गए वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं), तथा कंपनी के बहिर्नियम (संगम ज्ञापन) एवं अंतर्नियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को वर्तमान ₹10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र), जो ₹100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है, से बढ़ाकर ₹15,00,00,000/- (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र), जो ₹100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी, किया जाए, जिसके लिए ₹100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के अतिरिक्त 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर सृजित किए जाएं।

“यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आगे, कंपनी के बहिर्नियम (संगम ज्ञापन) में विद्यमान अनुच्छेद VI को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित नया अनुच्छेद VI प्रतिस्थापित किया जाए:

“VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹15,00,00,000/- (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र) है, जो ₹100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।”

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आगे, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी अथवा कंपनी सचिव को, अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक एवं उचित समझे जाने वाले सभी कार्य, विलेख, दस्तावेज एवं प्रक्रियाएं करने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अधिकृत किया जाता है।”

11. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन के संबंध में;

कंपनी के अंतर्नियम में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन करने तथा, यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है:

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा कंपनी के संगम ज्ञापन एवं पार्षद अंतर्नियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के विद्यमान पार्षद अंतर्नियमों में निम्नलिखित प्रकार एवं सीमा तक परिवर्तन किया जाता है:

A. नए अनुच्छेद 2.1 viii (a) का समावेश

विद्यमान अनुच्छेद 2.1 viii के ठीक पश्चात निम्नलिखित नया अनुच्छेद 2.1 viii (a) सम्मिलित किया जाए:

2.1 viii (a) - “विशेषज्ञ निदेशक (Expert Director)” से आशय ऐसे निदेशक से है, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 378P में किया गया है।

B. विद्यमान अनुच्छेद 4.3 iii में संशोधन

विद्यमान अनुच्छेद 4.3 iii को संशोधित किया जाए तथा संशोधन के पश्चात् इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

“4.3 iii. कोई भी सदस्य, जो सदस्य के रूप में बने रहने हेतु पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्यता से हटाए जाने के संबंध में लिखित सूचना दी जाएगी तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सदस्य को सूचना में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर उक्त सूचना का उत्तर देना होगा। तत्पश्चात्, निदेशक मंडल इस संबंध में निर्णय लेगा। तथापि, सदस्यों को ऐसी सूचना भेजने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में अपवाद की अनुमति दे सकता है

कंपनी द्वारा किसी सदस्य को दी जाने वाली सूचना या दस्तावेज़ उसे व्यक्तिगत रूप से देकर, डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर या उसके कंपनी के अभिलेखों में दर्ज ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

यदि सूचना डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर से भेजी जाती है, तो सामान्य रूप से डाक द्वारा पहुँचने में लगने वाले समय के बाद उसे सदस्य को प्राप्त माना जाएगा।

यदि सूचना सदस्य के कंपनी के अभिलेखों में दर्ज ई-मेल पते पर भेजी जाती है, तो उसे भेजे जाने की तारीख को सदस्य को प्राप्त माना जाएगा। हालांकि, यह तभी लागू होगा जब कंपनी को ई-मेल के न पहुँचने, वितरण विफल होने या ई-मेल वापस आने की कोई सूचना प्राप्त न हुई हो।

C. कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 4.4(iii) के ठीक पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(iv) सम्मिलित किया जाएगा:

4.4(iv) कोई सदस्य तभी बोर्ड में किसी विशेष सदस्यता वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक/निदेशकों के निर्वाचन अथवा नियुक्ति में मतदान करने के लिए पात्र होगा, जब ऐसे सदस्य ने निर्वाचन अथवा नियुक्ति से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता वर्ग पर लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया हो।

D. अंतर्नियमों के विद्यमान अनुच्छेद 4.5(ii) को संशोधित किया जाएगा और संशोधन के पश्चात् इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.5(ii) कंपनी अपने सदस्यों को दूध की खरीद के लिए संबंधित क्षेत्र में प्रचलित मूल्य तथा ऐसे अन्य मानदंडों, जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ, के आधार पर विभेदित मूल्य (Differential Price) का भुगतान कर सकती है।

E. अंतर्नियमों के विद्यमान अनुच्छेद 9.6(i) को संशोधित किया जाएगा और संशोधन के पश्चात् इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.6(i) कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में कुल निर्वाचित निदेशकों के एक-चौथाई निदेशक क्रमशः पद से सेवानिवृत्त होंगे तथा इस प्रकार रिक्त हुए पद को अनुच्छेद 9.5 के अनुसार संबंधित वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में पदावधि के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे, जिन्होंने अपनी पिछली वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति के पश्चात् सबसे अधिक अवधि तक पद धारण किया है। यदि किसी एक ही वार्षिक आम बैठक में नियुक्त निदेशकों में से किसी को सेवानिवृत्त होना हो, तो ऐसे निदेशक/निदेशकों का निर्धारण लॉटरी/पर्ची द्वारा चयन से किया जाएगा।

F. अंतर्नियमों के विद्यमान अनुच्छेद 9.7 को संशोधित किया जाएगा और संशोधन के पश्चात् इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.7 बोर्ड में यदि कोई पद खाली होता है, तो उस पद को भरने के लिए बोर्ड अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति कर सकता है या किसी निदेशक की नियुक्ति कर सकता है।

यदि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य को निदेशक नियुक्त किया जाता है, तो उस सदस्य ने नियुक्ति से पहले के कम-से-कम दो वित्तीय वर्षों तक कंपनी की सदस्यता बनाए रखने से संबंधित पात्रता शर्तें पूरी की होनी चाहिए।

इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक पद पर बना रहेगा। हालांकि, यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा तय करता है, तो वह इससे कम अवधि के लिए भी पद पर रह सकता है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को लगातार अगले दो वर्षों में बोर्ड के किसी रिक्त पद को भरने के लिए दोबारा सहयोजित नहीं किया जा सकेगा।

साथ ही, "पिछले कम-से-कम दो वित्तीय वर्षों तक सदस्यता जारी रखने संबंधी पात्रता मानदंड" की यह शर्त कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक समाप्त होने के बाद से प्रभावी होगी।

G. अंतर्नियमों के विद्यमान अनुच्छेद 9.16 को संशोधित किया जाएगा और संशोधन के पश्चात् इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.16 कोई निर्वाचित निदेशक, कंपनी का सदस्य न रहने पर अथवा वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 200 दिनों में न्यूनतम 500 लीटर दूध डालने की मूलभूत पात्रता, जैसा कि अनुच्छेद 4.4 में निर्धारित है, पूरी न करने के कारण मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपात्र हो जाने पर, निदेशक के पद पर बने रहने का अधिकार खो देगा।

इसके अतिरिक्त, कोई सदस्य बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा अथवा निम्नलिखित परिस्थितियों में निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा:

आगे यह भी संकल्पित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कार्यवाहियाँ एवं अन्य आवश्यक कार्य करने तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ताक्षरित/-

डॉ. मुकेश बेरिवाल

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

स्थान: वाराणसी

दिनांक: 20/08/2026

टिप्पणियाँ

- कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा (AGM) में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र है, वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो हाजिरी मतदान और मतदान दोनों में भाग ले सकता है। ध्यान दें कि कोई भी गैर-सदस्य प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म विधिवत रूप से भरा हुआ, स्टॉप किया हुआ एवं हस्ताक्षरित होकर, बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है।
- प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मताधिकार प्राप्त होगा (चाहे वह हाजिरी मतदान हो या पोल में), चाहे उसकी शेरधारिता या कंपनी में प्रायोजन कितना भी हो।
- इस सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:
 - निदेशक पद हेतु प्रत्याशियों के नाम तथा उनके योग्यता का विवरण;
 - दिनांक 10 सितंबर 2025 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त;
 - 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ/हानि खाता, साथ ही निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट; तथा
 - वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट।
- जिन सदस्यों को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, वे कृपया बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी सचिव को पंजीकृत कार्यालय में भेजें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर एवं सदस्य कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें।
- संलग्न नोटिस के मद संख्या 5,6,8,10 एवं 11 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।
- संलग्न नोटिस एवं व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित संबंधित दस्तावेज सदस्यों द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में सामान्य कार्यालय समय के दौरान (11:00 बजे से 16:00 बजे तक) निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च 2026 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज हैं।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते, ईमेल में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना, पिन कोड एवं मोबाइल नंबर सहित, कंपनी को तत्काल प्रदान करें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205A / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषित लाभांश की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर भुगतान/दावा न किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (Investor Education and Protection Fund - IEPF) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उक्त राशि के IEPF में स्थानांतरण के पश्चात, इस संबंध में IEPF अथवा कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।
- सदस्यों से अनुरोध है कि आम सभा स्थल पर अपनी पहचान के सत्यापन हेतु कंपनी द्वारा जारी पहचान-पत्र (आईडी कार्ड) अपने साथ अवश्य लाएं।
- आम सभा स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, और तेज उपकरण लाने की अनुमति नहीं है।

उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण निदेशक के रूप में चुने जाने के संबंध में (धारा 378ZA (4) (c) के तहत) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार:

नाम	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता
श्रीमती सुनीता देवी	पशुपालन	इंटरमीडिएट
श्रीमति मंशा कुमारी	पशुपालन	स्नातक

निदेशक मंडलके आदेश से

हस्ताक्षरित/-

डॉ. मुकेश बेरिवाल

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

स्थान: वाराणसी

दिनांक: 20/08/2026

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमति सुनीत देवी (DIN: 11908170) की कंपनी के निदेशक मंडलमें निदेशक के रूप में नियुक्ति कंपनी के हित में वांछनीय एवं लाभदायक है। अतः निदेशक मंडलद्वारा सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव संख्या 5 की अनुशंसा की जाती है।

श्रीमती सुनीता देवी श्रीमति सुनीत देवी (DIN: 11908170) के अतिरिक्त, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडलउक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 6

निदेशक मंडलका मत है कि श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237) की कंपनी के निदेशक मंडल में क्लास-C निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति कंपनी के हित में वांछनीय एवं लाभदायक है। अतः निदेशक मंडलद्वारा सदस्यों के अनुमोदन हेतु मद संख्या 6 में उल्लिखित प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।

श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237) के अतिरिक्त, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडलउक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 8

वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 10 सितंबर 2025 को आयोजित कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और सदस्यों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

स्वीकृत बजट को लागू करते समय वर्ष के दौरान कंपनी के कार्यों के विस्तार और स्वरूप में बदलाव, व्यावसायिक आवश्यकताओं, संसाधनों के उपयोग तथा अन्य आवश्यक परिस्थितियों के कारण बजट में निर्धारित राशि और वास्तविक/संशोधित राशि में कुछ अंतर आया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में हुए अंतर का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। इसमें स्वीकृत बजट, वास्तविक/संशोधित राशि तथा दोनों के बीच का अंतर शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय बजट (CAPEX Budget)

क्र. सं.	मद	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित बजट	वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट न किया गया टव्यय	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु संशोधित बजट
A	दुग्ध परिचालन (Milk Operations)			
(I)	एमपीपी स्थापना लागत (MPP Set-up Cost)	–	3.62	3.62
(II)	कैन (Cans)	–	–	–
(III)	बीएमसी (BMC)	–	63.68	63.68
(IV)	एचओ स्थापना (HO Set-up)	5.00	–	5.00
(V)	आईसीटी (ICT)	12.54	–	12.54
(VI)	डीपीएमसीयू (DPMCU)	–	144.41	144.41
(VII)	एमसीसी/बीएमसी सहायक उपकरण (MCC/BMC Accessories)	74.26	–	74.26
(VIII)	एमसीयू (AMCU)	–	–	–

(IX)	बीएमसी स्थापना लागत (BMC Set-up Cost)	–	–	–
(X)	पूँजीगत व्यय – बिक्री (CAPEX – Sales)	–	–	–
(XI)	क्लस्टर अधिकारी स्थापना (Cluster Officer Set-up)	–	–	–
	पूँजीगत व्यय – दुग्ध परिचालन (CAPEX – Milk Operations)	91.80	211.72	303.52
(XII)	पूँजीगत व्यय अनुदान सहायता – दुग्ध परिचालन (CAPEX Grant Support – Milk Operations)	–	–	–
	स्वयं के निधियों से पूँजीगत व्यय (CAPEX from Own Funds)	91.80	211.72	303.52
B	पीईएस परिचालन (PES Operations)			
(I)	कंटेनर (Containers)	–	–	–
(II)	एलएन सिलोज़ (LN Silo)	–	–	–
(III)	हैंडहेल्ड डिवाइस/टैबलेट (Handheld Device/Tablet)	–	–	–
(IV)	लैपटॉप (Laptop)	–	–	–
(V)	पीईएस केंद्र स्थापना (PES Centre Set-up)	–	–	–
	पूँजीगत व्यय – पीईएस परिचालन (CAPEX – PES Operations)	–	–	–
(VI)	पूँजीगत व्यय अनुदान सहायता – पीईएस परिचालन (CAPEX Grant Support – PES Operations)	–	–	–
	स्वयं के निधियों से पूँजीगत व्यय (CAPEX from Own Funds)	–	–	–
I	कुल पूँजीगत व्यय (Total CAPEX)	91.80	211.72	303.52
II	कुल पूँजीगत व्यय अनुदान (Total CAPEX Grant)	–	–	–
III	स्वयं के निधियों से पूँजीगत व्यय (CAPEX from Own Funds)	91.80	211.72	303.52

उपर्युक्त सभी राशियाँ उसी इकाई में हैं, जिसमें मूल बजट विवरण प्रस्तुत किया गया है

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित या सरोकार नहीं है।

संचालक मंडल, संलग्न सूचना में उल्लिखित मद संख्या 8 के प्रस्ताव को सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुसमर्थन हेतु अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 10

वर्तमान में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹10 करोड़ है तथा कंपनी की जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी ₹7,23,01,600/- (रुपये सात करोड़ तेईस लाख एक हजार छह सौ मात्र) है। व्यवसाय के विस्तार के कारण कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि की आवश्यकता है और यह वर्तमान अधिकृत सीमा के निकट पहुँच रही है। अतः कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर ₹15 करोड़ किया जाना उपयुक्त माना गया है। तदनुसार, संलग्न सूचना के मद संख्या 10 में उल्लिखित प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के बहिर्नियम (संगम ज्ञापन) एवं अंतर्नियम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

कंपनी के 20 अगस्त 2026 को आयोजित 39वें निदेशक मंडलकी बैठक में, आवश्यक बहुमत से, कंपनी के संगम ज्ञापन के पूंजी संबंधी खंड में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के संगम ज्ञापन में उक्त संशोधन हेतु सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अतः प्रस्तावित संशोधनों की निदेशक मंडलद्वारा अनुशंसा की जाती है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित या सरोकार नहीं है।

संचालक मंडल, संलग्न सूचना में उल्लिखित मद संख्या 10 के प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन हेतु पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 11

कंपनी के अंतर्नियमों (Articles of Association) में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन तथा, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 को धारा 378-I के साथ पठित करते हुए)

कंपनी के अंतर्नियम (Articles of Association - "AoA") की समीक्षा कंपनी की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं, सुशासन संबंधी प्रथाओं तथा उत्पादक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के आलोक में की गई है।

उक्त समीक्षा के आधार पर, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 2.1 (viii), 4.3 (iii), 4.4, 4.5 (ii), 9.6 (i), 9.7 एवं 9.16 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कंपनी के शासन ढाँचे को सुदृढ़ करना तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार करना है।

प्रस्तावित संशोधनों के अंतर्गत मुख्य रूप से सूचनाओं/नोटिस की तामील से संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करना, अप्रासंगिक एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाना तथा अतिरिक्त सुशासन संबंधी आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए निदेशकों की पात्रता एवं अयोग्यता से संबंधित मानदंडों को सुदृढ़ करना शामिल है।

इन संशोधनों का उद्देश्य कंपनी में बेहतर सुशासन को बढ़ावा देना, अंतर्नियमों में स्पष्टता सुनिश्चित करना, दोहराव को समाप्त करना, वैधानिक प्रावधानों के साथ संगति बनाए रखना तथा कंपनी के उत्पादक सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के कार्यों का कुशल एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है।

प्रस्तावित संशोधनों सहित कंपनी के बहिर्नियम (संगम ज्ञापन) एवं अंतर्नियमों की प्रति सदस्यों के निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक, इस सूचना की तारीख से लेकर बैठक की तारीख तक उपलब्ध रहेगी।

संचालक मंडल, संलग्न सूचना में उल्लिखित मद संख्या 11 के विशेष प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन हेतु पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव में, कंपनी में उनके संभावित शेयरधारण के अतिरिक्त, किसी भी प्रकार का वित्तीय अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित या सरोकार नहीं है।

बजट 2026-2027

राजस्व बजट

क्र. सं.	विवरण	कुल (₹ लाख में) - बजट FY 25-26	कुल (₹ लाख में) - वास्तविक FY 25-26	कुल (₹ लाख में) - प्रस्तावित बजट FY 26-27	₹/किग्रा. - बजट FY 25-26	₹/किग्रा. - वास्तविक FY 25-26	₹/किग्रा. - प्रस्तावित बजट FY 26-27
	कुल दुग्ध उपार्जन - किग्रा.	5,18,10,348	5,14,47,332	6,87,54,021			
	औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन - किग्रा. प्रति दिन	1,41,946.16	1,40,951.59	1,88,367.18			
	वसा (Fat) %	5.14	5.05	5.55			
	एसएनएफ (SNF) %	8.67	8.61	8.75			
	ईएफयू (EFU) %	10.92	10.79	11.38			
A	बिक्री प्राप्ति (Sales Realisation)	26,941.69	27,218.07	38,872.45	52.00	52.90	56.54
	भंडार में वृद्धि/(कमी)	-	(64.39)	-	-	(0.13)	-
B	घटाएँ: उत्पादक मूल्य (Producer Price)	22,997.87	23,221.36	33,008.62	44.39	45.14	48.01
C	सकल मार्जिन (Gross Margin)	3,943.82	4,061.10	5,863.84	7.61	7.64	8.53
D	सहायक मार्जिन (Sahayak Margin)	440.14	196.11	684.52	0.85	0.38	1.00
E	दुग्ध वाहन परिवहन - ग्राम से BMC तक	698.19	664.48	956.38	1.35	1.29	1.39
F	बाह्य परिवहन भाड़ा - BMC से मदर डेयरी तक	1,683.84	1,421.78	2,308.77	3.25	2.76	3.36
G	परिवर्ती लागत - दुग्ध उपार्जन व्यय*	400.23	587.65	585.43	0.77	1.14	0.85
H	कुल परिवर्ती लागत	3,222.40	2,870.02	4,535.10	6.22	5.58	6.60
I	अंशदान (Contribution)	721.41	1,191.08	1,328.74	1.39	2.06	1.93
	घटाएँ: स्थिर लागत - प्रशासनिक व्यय	340.08	325.40	543.54	0.66	0.63	0.79
	मानव संसाधन व्यय (Manpower)	507.01	478.40	866.09	0.98	0.93	1.26
	आईसीटी लागत (ICT Cost)	26.80	12.19	42.57	0.05	0.02	0.06
J	कुल स्थिर लागत	873.88	816.00	1,452.20	1.69	1.59	2.11
K	अनुदान सहायता से पूर्व दुग्ध परिचालन से लाभ/(हानि)	(152.47)	375.09	(123.46)	(0.29)	0.48	(0.18)
L	अनुदान सहायता (विस्तार योजना हेतु)	-	-	-	-	-	-
M	अनुदान सहायता के पश्चात दुग्ध परिचालन से लाभ/(हानि)	(152.47)	375.09	(123.46)	(0.29)	0.48	(0.18)
	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की बिक्री	1,215.36	1,420.02	2,352.17	2.35	2.76	3.42
	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की खरीद	1,041.81	1,300.96	2,111.46	2.01	2.53	3.07
	भंडार में परिवर्तन - पशु आहार एवं खनिज मिश्रण	-	52.17	-	-	0.10	-
	व्यय (केवल इस परिचालन/क्षेत्र से संबंधित)	93.22	89.85	175.12	0.18	0.17	0.25
N	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण से आय	80.33	81.37	65.60	0.16	0.16	0.10
	PES/AI पर व्यय	36.90	23.81	50.18	0.07	0.05	0.07
O	PES/AI से आय	(36.90)	(23.81)	(50.18)	(0.07)	(0.05)	(0.07)
P	प्रवेश शुल्क से आय (Admission Income)	5.67	5.30	0.97	0.01	0.01	0.00
Q	ब्याज से आय (Interest Income)	131.83	144.08	133.63	0.25	0.28	0.19
R	विविध आय (Miscellaneous Income)	-	7.99	-	-	0.02	-
S	कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	28.45	590.02	26.56	0.05	0.90	0.04
K	अनुदान सहायता से पूर्व दुग्ध परिचालन से लाभ/(हानि)	(152.47)	375.09	(123.46)	(0.29)	0.48	(0.18)
L	अनुदान सहायता (विस्तार योजना हेतु)	-	-	-	-	-	-

M	अनुदान सहायता के पश्चात दुग्ध परिचालन से लाभ/(हानि)	(152.47)	375.09	(123.46)	(0.29)	0.48	(0.18)
	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की बिक्री	1,215.36	1,420.02	2,352.17	2.35	2.76	3.42
	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की खरीद	1,041.81	1,300.96	2,111.46	2.01	2.53	3.07
	भंडार में परिवर्तन - पशु आहार एवं खनिज मिश्रण	-	52.17	-	-	0.10	-
	व्यय (केवल इस परिचालन/क्षेत्र से संबंधित)	93.22	89.85	175.12	0.18	0.17	0.25
N	पशु आहार एवं खनिज मिश्रण से आय	80.33	81.37	65.60	0.16	0.16	0.10
	PES/AI पर व्यय	36.90	23.81	50.18	0.07	0.05	0.07
O	PES/AI से आय	(36.90)	(23.81)	(50.18)	(0.07)	(0.05)	(0.07)
P	प्रवेश शुल्क से आय (Admission Income)	5.67	5.30	0.97	0.01	0.01	0.00
Q	ब्याज से आय (Interest Income)	131.83	144.08	133.63	0.25	0.28	0.19
R	विविध आय (Miscellaneous Income)	-	7.99	-	-	0.02	-
S	कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	28.45	590.02	26.56	0.05	0.90	0.04

पूँजीगत व्यय बजट (2026-2027)

क्र. सं.	विवरण	बजट FY 25-26 (₹ लाख)	वास्तविक FY 25-26 (₹ लाख)	प्रस्तावित बजट FY 26-27 (₹ लाख)
A	दुग्ध परिचालन (Milk Operation)			
(I)	MPP स्थापना लागत	-	-	88.00
(II)	कैन (Cans)	-	-	340.00
(III)	BMC	-	-	110.00
(IV)	मुख्य कार्यालय (HO) स्थापना	5.00	-	5.38
(V)	आईसीटी (ICT)	12.54	-	255.62
(VI)	DPMCU	-	-	500.20
(VII)	MCC/BMC सहायक उपकरण	74.26	-	98.57
(VIII)	AMCU	-	-	16.80
(IX)	BMC स्थापना लागत	-	-	-
(X)	बिक्री हेतु पूँजीगत व्यय (CAPEX - Sales)	-	-	-
(XI)	क्लस्टर अधिकारी स्थापना	-	-	10.30
	दुग्ध परिचालन हेतु कुल पूँजीगत व्यय	91.80	-	1,424.87
(XII)	अनुदान सहायता से पूँजीगत व्यय - दुग्ध परिचालन	-	-	-
	स्वयं के निधि स्रोत से पूँजीगत व्यय	91.80	-	1,424.87
B	PES परिचालन (PES Operation)			
(I)	कंटेनर	-	-	-
(II)	LN साइलो	-	-	-
(III)	हैंडहेल्ड डिवाइस/टेबलेट	-	-	-
(IV)	अलमारी	-	-	0.54
(V)	PES केंद्र की स्थापना	-	-	1.50
	PES परिचालन हेतु पूँजीगत व्यय	-	-	2.04
(VI)	अनुदान सहायता से पूँजीगत व्यय - PES परिचालन	-	-	-
	स्वयं के निधि स्रोत से पूँजीगत व्यय	-	-	2.04
I	कुल पूँजीगत व्यय	91.80	-	1,426.91
II	कुल अनुदान सहायता से पूँजीगत व्यय	-	-	-
III	स्वयं के निधि स्रोत से पूँजीगत व्यय	91.80	-	1,426.91

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

5वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 5वीं वार्षिक आम सभा बुधवार, 10 सितंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे "होटल द पिनेकल इन", हवेलिया चौराहा, सारनाथ, SA-15/129E, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007 में आयोजित की गई।

उपस्थित सदस्यगण:

क्रम सं.	नाम	पद
1.	श्रीमती सरिता	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2.	श्रीमती संगीता देवी	निदेशक एवं शेयरधारक
3.	श्रीमती अंजना सिंह	निदेशक एवं शेयरधारक
4.	श्रीमती मंशा कुमारी	निदेशक एवं शेयरधारक
5.	श्रीमती श्यामलता सिंह	निदेशक एवं शेयरधारक
6.	श्रीमती ममता देवी	निदेशक एवं शेयरधारक
7.	श्रीमती प्रतिमा देवी	निदेशक एवं शेयरधारक
8.	श्रीमती गीता वर्मा	निदेशक एवं शेयरधारक
9.	श्रीमती मंजू देवी	निदेशक एवं शेयरधारक
10.	श्रीमती पूनम देवी	निदेशक एवं शेयरधारक
11.	श्रीमती रीना देवी	निदेशक एवं शेयरधारक
12.	डॉ मुकेश बेरिवल	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
13.	गायत्री सुरेन्द्र राव	विशेषज्ञ निदेशक

कंपनी सचिव: प्रियंका सत्यवली

अध्यक्ष

बैठक की अध्यक्ष श्रीमती सरिता देवी ने कंपनी की 5वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित कंपनी के सदस्यों एवं निदेशक मंडलके सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया।

उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी की विशेषज्ञ निदेशक, डॉ. वीनू सोढ़ी, व्यक्तिगत एवं अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

गणपूर्ति की पुष्टि

अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

कंपनी सचिव ने सूचित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के प्रावधानों को कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है।

उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित: 62 सदस्य, जिनके पास 5,305 इक्विटी शेयर थे।

प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित: 14,770 शेयरधारक, जिनके पास 3,10,015 इक्विटी शेयर थे।

कुल मिलाकर, व्यक्तिगत रूप से एवं प्रॉक्सी के माध्यम से 14,832 सदस्य, अर्थात् कंपनी के कुल सदस्यों के 53.98% सदस्य उपस्थित थे।

चूंकि बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित थी, कंपनी सचिव ने अध्यक्ष से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। कंपनी सचिव से गणपूर्ति की पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात अध्यक्ष ने घोषित किया कि बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित है।

कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों के शेयरधारण का रजिस्टर, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा अन्य सांविधिक रजिस्टर निरीक्षण हेतु उपलब्ध एवं खुले हुए हैं।

उन्होंने यह भी सूचित किया कि कंपनी की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अहंता नहीं है। अतः लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, 5वीं वार्षिक आम सभा की बैठक बुलाने संबंधी सूचना, जो पूर्व में सदस्यों को परिचालित की जा चुकी थी, को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष के निर्देशानुसार, कंपनी सचिव ने बैठक की कार्यसूची के मदों को प्रस्तुत किया।

बैठक में निम्नलिखित कार्य संपादित किए गए:

बैठक में निम्नलिखित कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया:

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण को, उनसे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

1.1 कंपनी सचिव द्वारा कंपनी के खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को सभा में पढ़कर सुनाया गया।

- 1.2. तत्पश्चात, सदस्यों द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया गया।

श्रीमती संजू यादव (फोलियो संख्या: 0002438) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-01/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को कंपनी का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त अवधि का लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण, उनसे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित, एतद्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किए जाते हैं।”

श्रीमती अनुराग देवी (फोलियो संख्या: 0016973) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) पर विचार करना एवं उसे घोषित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

श्रीमती उषा देवी (फोलियो संख्या: 0018301) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-02/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के चालू वर्ष के लाभ में से, ₹100/- अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 5,14,597 इक्विटी शेयरों पर ₹8/- प्रति इक्विटी शेयर की दर से, कुल ₹41,16,776/- का सीमित प्रतिफल (लाभांश) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्टि किया जाता है तथा उक्त लाभांश का भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाए, जिनके नाम 31 मार्च 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज थे।”

श्रीमती गीता देवी (फोलियो संख्या: 0025372) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

3. श्रीमती सरिता देवी (DIN: 09687193) की पदावधि पूर्ण होने पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

श्रीमती चंद्रावती (फोलियो संख्या: 0013421) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-03/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (जिसमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं), श्रीमती सरिता देवी (DIN: 09687193), जो इस 5वीं वार्षिक आम सभा में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाली निदेशक हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, एतद्वारा इस वार्षिक आम सभा के समापन के साथ निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होती हैं।”

श्रीमती शिवानी कुमारी (फोलियो संख्या: 0026268) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

4. श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) की पदावधि पूर्ण होने पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति पर विचार करना, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

श्रीमती सविता (फोलियो संख्या: 0011877) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-04/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (जिसमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं), श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147), जो इस 5वीं वार्षिक आम सभा में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाली निदेशक हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, एतद्वारा इस वार्षिक आम सभा के समापन के साथ निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होती हैं।”

श्रीमती रीता राय (फोलियो संख्या: 0013043) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

5. श्रीमती प्रतिमा देवी (DIN: 10290499), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, की सेवानिवृत्ति पर विचार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

श्रीमती सरोजनी देवी (फोलियो संख्या: 0011370) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि उक्त कार्यसूची मद श्रीमती प्रतिमा देवी की रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति से संबंधित थी। तथापि, एक अनजाने लिपिकीय त्रुटि के कारण 5वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में मद संख्या 5 के अंतर्गत प्रस्ताव के प्रारूप में गलती से ‘कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त’ शब्द अंकित हो गया था।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सदस्यों के समक्ष रखा गया सही आशय एवं प्रस्ताव यह था कि श्रीमती प्रतिमा देवी रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी थीं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थीं। सदस्यों ने उक्त स्पष्टीकरण का संज्ञान लिया। तत्पश्चात, प्रस्ताव को उसके सही रूप में मतदान हेतु प्रस्तुत किया गया और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-05/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें समय-समय पर किए गए किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं) के अनुसार, श्रीमती प्रतिमा देवी (DIN: 10290499), जो इस 5वीं वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाली निदेशक हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं और एतद्वारा इस वार्षिक आम सभा की समाप्ति पर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होती हैं।”

श्रीमती अर्चना देवी (फोलियो संख्या: 0002567) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

6. श्रीमती आकांक्षा सिंह (DIN: 11211650) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।

श्रीमती रूबी (फोलियो संख्या: 0011432) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-6/2025-2026

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें समय-समय पर किए गए किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं) के अनुसार, श्रीमती आकांक्षा सिंह (DIN: 11211650) को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित एवं प्रासंगिक सभी कदम उठाने तथा सभी आवश्यक कार्य करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती संध्या सिंह (फोलियो संख्या: 0014766) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

7. श्रीमती चुन्नी देवी (DIN: 11211662) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।

श्रीमती सीमा राय (फोलियो संख्या: 0005742) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-07/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें समय-समय पर किए गए किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं) के अनुसार, श्रीमती चुन्नी देवी (DIN: 11211662) को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित एवं प्रासंगिक सभी कदम उठाने तथा सभी आवश्यक कार्य करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती रीना (फोलियो संख्या: 0003819) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

8. श्रीमती कविता कुशवाहा (DIN: 11211671) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।

श्रीमती सीमा मिश्रा (फोलियो संख्या: 0012677) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-08/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं कंपनी के अंतर्नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें समय-समय पर किए गए किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं) के अनुसार, श्रीमती कविता कुशवाहा (DIN: 11211671) को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होगा।

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित एवं प्रासंगिक सभी कदम उठाने तथा सभी आवश्यक कार्य करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती मीना यादव (फोलियो संख्या: 0023992) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

9. सदस्यों को उनके व्यवसाय में सहभागिता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु मानदंडों पर विचार करना एवं उन्हें अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

श्रीमती आशा देवी (फोलियो संख्या: 0026699) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-09/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि 18 सितंबर 2024 को आयोजित 4वीं वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव के अधिक्रमण में तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, सदस्यों की कंपनी के व्यवसाय में सहभागिता (अर्थात् Patronage) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु संशोधित मानदंड, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है, एतद्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किए जाते हैं:

मानदंड	वर्ग A	वर्ग B	वर्ग C
कंपनी को वार्षिक रूप से आपूर्ति की गई दूध की मात्रा (लीटर में)	≥10,000	≥4,000	≥500
एक वर्ष में कंपनी को दूध आपूर्ति किए जाने के दिनों की संख्या	≥330	≥270	≥200
फ्लश अवधि (नवंबर से फरवरी) एवं लीन अवधि (अप्रैल से जुलाई) के दौरान दूध आपूर्ति का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	फ्लश-लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं	फ्लश-लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं	फ्लश-लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं
न्यूनतम अभिदत्त MPC शेयरों की संख्या (अंश पूंजी में योगदान)	100 शेयर	40 शेयर	न्यूनतम अभिदत्त MPC शेयरों की संख्या (अंश पूंजी में योगदान)

टिप्पणी:

(क) वर्ग का निर्धारण करते समय वास्तविक अंशदान अथवा वास्तविक दूध आपूर्ति की मात्रा, इनमें से जो भी कम हो, उसे आधार माना जाएगा।

(ख) प्रायोजन की गणना के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएंगी:

- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल हुए सदस्य जिन्होंने 365 दिन की सदस्यता पूरी नहीं की है, लेकिन एक विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी का योगदान किया है, उन्हें उसी श्रेणी में माना जाएगा।

- ii. कोई भी सदस्य जो श्रेणी ए या श्रेणी बी के मानदंड को पूरा नहीं करता है, वह उचित निम्न श्रेणी में स्थानांतरित हो सकता है जिसके मानदंड वह पूरा करता है। हालांकि, वह उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ा नहीं सकता है।
- iii. जो सदस्य न्यूनतम 'श्रेणी सी' मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 4.3 और अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, यदि बोर्ड उन्हें सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्य बिना किसी श्रेणी के सदस्य माने जाएंगे।

स्वीकृत और अंगीकृत किए जाते हैं तथा वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी माने जाएंगे।

श्रीमती सीता देवी (फोलियो संख्या: 0024092) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

10. परिभाषित मानदंडों के आधार पर निदेशक मंडलमें रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु नामांकन समिति के गठन के दिशा-निर्देशों पर विचार करना एवं उन्हें अनुमोदित करना।

श्रीमती प्रियंका (फोलियो संख्या: 0013395) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-10/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-1 एवं धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें उसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी सम्मिलित हैं, के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की सहमति एतद्वारा नामांकन समिति (Nominating Committee) के गठन हेतु दिशा-निर्देशों को अपनाने एवं अनुमोदित करने के लिए प्रदान की जाती है।

- (i) काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) का निदेशक मंडलवित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर एक “नामांकन समिति” (NC) का गठन करेगा, जो कंपनी के निदेशक मंडलमें रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा निदेशक मंडलको करेगी।
- (ii) निदेशक मंडल में उत्पादक निदेशकों के रिक्त पदों (वर्ग A, वर्ग B अथवा वर्ग C के अंतर्गत) की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडलद्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार किए जाने हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने वाली सूचना, निदेशक मंडलमें रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप, कंपनी के सूचना-पट्ट पर और/या कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर तथा/या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के पास पंजीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल भेजकर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/विधि से उस संबंधित वर्ग/वर्गों के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जाएगी, जिस वर्ग/वर्गों में रिक्ति उत्पन्न हुई है।
- (iii) निदेशक मंडल ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करेगा, जिसका पालन नामांकन समिति द्वारा संबंधित संभावित सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।
- (iv) नामांकन समिति पात्र आवेदकों के लिए प्रत्येक मानदंड के विरुद्ध निर्धारित ‘आवेदक पात्रता अंक’ के निम्नलिखित विवरण पर विचार करेगी:

आवेदक पात्रता अंक हेतु मानदंड	अधिकतम अंक
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दूध आपूर्ति किए जाने के दिनों की संख्या। अंक निम्नानुसार होंगे: 95% या अधिक दिन - 30; 85% से कम 95% तक - 20; 75% से कम 85% तक - 15; 65% से कम 75% तक - 10; 55% से कम 65% तक - 5; 55% से कम - 0	30
संबंधित अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष दूध की आपूर्ति करना, अर्थात् किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/संचालक को दूध की आपूर्ति न करना – स्व-घोषणा तथा कंपनी द्वारा बाद में किए जाने वाले सत्यापन के आधार पर	5
पिछले 5 वर्षों में किसी भी सदस्य वर्ग (A, B, C) को बनाए रखना – प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30
शैक्षणिक योग्यता: 12वीं उत्तीर्ण - 5 अंक; स्नातक - 10 अंक; स्नातकोत्तर - 15 अंक	15
प्रशिक्षण में भागीदारी – सदस्य प्रशिक्षण: 5 अंक; VCG/MRG प्रशिक्षण: 5 अंक; LDP (Leadership Development Programme)/निदेशक मंडलप्रशिक्षण कार्यक्रम: 10 अंक	20
कुल	100

(v) निदेशक मंडलद्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

1. उस सदस्यता वर्ग से निदेशक मंडलमें एक उत्पादक-सदस्य निदेशक, जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि उक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य पात्र हों, तो नामांकन समिति के एक सदस्य का चयन लॉटरी/पर्ची द्वारा किया जाएगा। यदि संबंधित वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध न हो, तो किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक का चयन भी लॉटरी/पर्ची द्वारा किया जाएगा।
2. कंपनी के निदेशक मंडलमें कार्यरत एक विशेषज्ञ निदेशक; तथा
3. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान अथवा ऐसे संस्थान से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक-स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।
4. कंपनी का कंपनी सचिव, नामांकन समिति को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा तथा नामांकन समिति से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, जिसमें समिति की बैठक के कार्यवृत्त भी शामिल हैं, के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) नामांकन समिति का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की तिथि से प्रारंभ होकर उस तिथि तक रहेगा, जिस दिन वह कंपनी के निदेशक मंडलको अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कर देगी।

(vii) निदेशक मंडलउन संभावित सदस्यों की पहचान करने हेतु नामांकन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के प्रयोजन से कंपनी के निदेशक मंडलको ऐसे सभी कदम उठाने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं विषय संपादित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक एवं उचित समझे तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सके।”

श्रीमती सीमा सिंह (फोलियो संख्या: 0003984) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

11. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना।

श्रीमती छाया राय (फोलियो संख्या: 0018465) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-11/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

श्रीमती उर्मिला (फोलियो संख्या: 0020734) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

12. कंपनी के अंतर्नियमों (Articles of Association) में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

श्रीमती चंदा देवी (फोलियो संख्या: 0017249) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-12/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I एवं धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के वर्तमान अंतर्नियमों (Articles of Association) में निम्नलिखित रीति एवं सीमा तक संशोधन करने हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती है:

1. वर्तमान अंतर्नियम 9.5(i) में संशोधन कर उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

“निदेशक मंडलमें प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, यथासंभव, संबंधित वर्ग के सदस्यों के संरक्षण (Patronage) के आधार पर निर्धारित की जाएगी। तथापि, यह प्रावधान कंपनी की 5वीं वार्षिक आम सभा की समाप्ति से प्रभावी होगा।”

2. वर्तमान अंतर्नियम 9.6(ii) में संशोधन कर उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

“वार्षिक आम सभा में भरे जाने वाले निदेशक मंडलके किसी भी रिक्त पद को निदेशक मंडलद्वारा नियुक्त नामांकन समिति (Nominating Committee) की सिफारिश के आधार पर भरा जाएगा। यह प्रावधान कंपनी की 5वीं वार्षिक आम सभा की समाप्ति से प्रभावी होगा।”

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधनों से पूर्व कंपनी के निदेशक मंडलद्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य, दस्तावेज एवं अन्य कार्यवाहियां एतद्वारा अनुमोदित एवं पुष्ट की जाती हैं।

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि यह प्रस्ताव पूर्व में किए गए सभी व्यवस्थाओं/प्रबंधों का अधिक्रमण करेगा।

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं अन्य कार्यवाहियां करने तथा आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती राज कुमारी मौर्य (फोलियो संख्या: 0012482) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

13. NDDDB द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली Apex Cooperative की शेयर पूंजी की सदस्यता लेने पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना।

श्रीमती सरोज (फोलियो संख्या: 0027760) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 5वीं AGM / Reso-13/10/09/2025

“यह प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियमों (Memorandum and Articles of Association) के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXI-A के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, जिसमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन भी सम्मिलित हैं, के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती है कि कंपनी द्वारा NDDDB द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता सामान्य आरक्षित निधि (General Reserves) के अधिकतम 30% तक की सीमा में ली जा सकती है तथा कंपनी उक्त बहु-राज्य सहकारी समिति की सदस्य बन सकती है।

यह भी प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाहियां प्रारंभ करने तथा आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने हेतु अलग-अलग रूप से अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती मीरा (फोलियो संख्या: 0018045) ने उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया। हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया।

चूंकि बैठक में विचारार्थ कोई अन्य कार्य नहीं था, अतः अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

कोई अन्य कार्य शेष न होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

बैठक प्रारंभ होने का समय: दोपहर 12:00 बजे

बैठक समाप्त होने का समय: दोपहर 1:30 बजे

कार्यवृत्त दर्ज किए जाने की तिथि: 7 अक्टूबर 2025

कार्यवृत्त प्रविष्टि की तिथि: 3 अक्टूबर 2025

हस्ताक्षर की तिथि: 7 नवंबर 2025

हस्ताक्षरित/-

अध्यक्ष



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

ईमेल: info@kasheemilk.com फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

अधिसूचना प्राप्ति प्रमाणपत्र

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--

मैं निवासी,
काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्य हूं। मैंने कंपनी द्वारा भेजी गई कंपनी की 6वीं वार्षिक
आम सभा की सूचना प्राप्त कर ली है।

सदस्य के हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्थान:



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

ईमेल: info@kasheemilk.com फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

उपस्थिति पर्ची (ATTENDANCE SLIP)

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं एतद्वारा काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 6वीं वार्षिक आम सभा, जो दिनांक 25 सितंबर 2026, शुक्रवार, को दोपहर 12:00 बजे "होटल वर्टेक्स (होटल सुरभि इंटरनेशनल की एक इकाई), पहाड़िया रोड, सुरभि होटल के पास, श्री नगर कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007" में आयोजित की जानी है, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि/प्रॉक्सि का नाम(अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही हो तो)	

अंशधारक / प्रॉक्सि के हस्ताक्षर

** जो लागू न हो, उसे काट दें।*



प्रपत्र संख्या MGT-11

प्रॉक्सी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2021PTC155262

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,
पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल	
फोलियो संख्या	

मैं/हम, काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्य होने के नाते, निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को अपना/अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ:

क्र. सं.	नाम	पता	ई-मेल	सदस्यता कोड	फोलियो संख्या

मैं 25 सितम्बर 2026 (शुक्रवार) को दोपहर 12:00 बजे ““होटल वर्टेक्स (होटल सुरभि इंटरनेशनल की एक इकाई), पहाड़िया रोड, सुरभि होटल के पास, श्री नगर कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007” अथवा किसी भी अन्य स्थान /समय पर होने वाली 6वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सि के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ ।

क्र. सं.	प्रस्ताव	पक्ष में	विपक्ष में
1.	31 मार्च 2026 को कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना तथा इस संबंध में साधारण प्रस्ताव पारित करना।		
2.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) पर विचार करना एवं उसे घोषित करना तथा इस संबंध में साधारण प्रस्ताव पारित करना।		
3.	श्रीमती अंजना सिंह (DIN: 10190931), जो नो-क्लास निदेशक हैं, के पद से सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो चक्रानुसार सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, और इस संबंध में साधारण प्रस्ताव पारित करना।		
4.	श्रीमती ममता देवी (DIN: 10180142), क्लास-B निदेशक, के पद से सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो चक्रानुसार सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, और इस संबंध में साधारण प्रस्ताव पारित करना।		
5.	श्रीमती सुनीता देवी (DIN:11908170) की कंपनी के क्लास-B निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना तथा इस संबंध में साधारण प्रस्ताव पारित करना।		
6.	श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237), क्लास-C निदेशक, के पुनर्नियुक्ति पर विचार करना, जो पद से निवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान करती हैं, और इस संबंध में साधारण प्रस्ताव पारित करना।		
7.	कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में साधारण प्रस्ताव पारित करना।		
8.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में हुए विचलन का अनुमोदन/अनुसमर्थन करना।		
9.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना।		
10.	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करना।		
11.	कंपनी के अंतर्नियमों (Articles of Association) में किए जाने वाले संशोधनों पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।		

हस्ताक्षरित, दिनांक: _____ 2026

शेयरधारक/सदस्य के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक/धारकों के हस्ताक्षर:

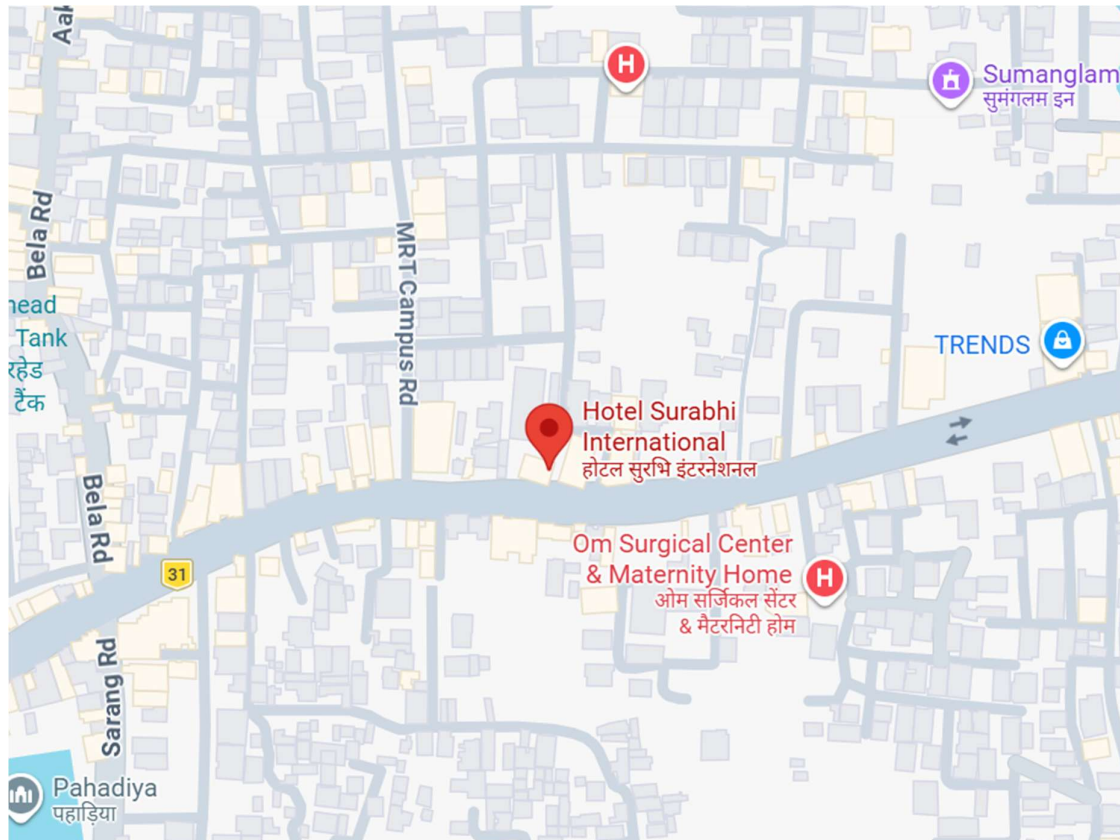
₹1/- का

राजस्व टिकट

टिप्पणी:

यह प्रॉक्सी प्रपत्र उपर्युक्त सामान्य सभा की निर्धारित तिथि एवं समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधित रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य है।

छठी वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल का मार्ग मानचित्र



निकटवर्ती प्रमुख स्थल:

- सारनाथ मंदिर परिसर
- पहड़िया मंडी-सारनाथ मार्ग के पास